

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर

ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 भोपाल, प्रकाशन - सोमवार, 23 फरवरी 2026 वर्ष - 80 अंक - 26 मूल्य - रु. 12/- कुल पृष्ठ -16 www.krishakjagat.org पृष्ठ- 1

कृषक जगत न्यूज वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें



अंदर पढ़िये...




लैंटाना बायो-पैलेट्स भविष्य का हरित ईंधन

मध्य प्रदेश बजट 2026-27

'ज्ञानी' बजट में किसानों के लिए 38,850 करोड़

(विशेष प्रतिनिधि)

भोपाल (कृषक जगत)। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को 38,850 करोड़, 1 लाख सोलर सिंचाई पंप, शून्य ब्याज ऋण और किसानों को 12,000 रुपए वार्षिक सहायता सहित कई योजनाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। प्रदेश सरकार ने, विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया गया यह बजट 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का है। सरकार ने इस बजट को 'GYANII' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, आधारभूत ढांचा और औद्योगिक निवेश) के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर केंद्रित रखा है। बजट का सबसे बड़ा आकर्षण कृषि क्षेत्र रहा। लेकिन इसमें केवल 4 फीसदी की वृद्धि की गई है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के बजट को 37,400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38,850 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाएगी। (विस्तृत बजट पृष्ठ 9 पर देखें)



कृषि क्षेत्र (रु. करोड़ में)

विभाग	2026-27 बजट अनुमान
कृषि	31,758
खाद्य, नागरिक आपूर्ति	1,863
पशुपालन	2,365
सहकारिता	1,679
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	772
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य	413
योग	38,850

यह बजट ज्ञानी (GYANII) के मार्गदर्शी सिद्धांत पर तैयार किया गया है। जिसमें गरीब कल्याण, युवा शक्ति, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, अन्नदाता की आय में वृद्धि, नारी सशक्तिकरण, आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं प्रदेश में औद्योगिक निवेश का संकल्प है।
- डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री (म.प्र.)

किसान, खेती और नीति

नीतियों को सरल भाषा में किसानों तक पहुंचाने की कृषक जगत की नई पहल

कृषक जगत

आज जब कृषि से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली स्तर पर लिए जाते हैं, तब उनकी जटिल कानूनी और प्रशासनिक भाषा को समझना सामान्य किसान के लिए सहज नहीं होता। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह पॉडकास्ट श्रृंखला हिंदी में तैयार की गई है, ताकि नीति की बारीकियों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।

अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व- इस विशेष संवाद श्रृंखला का संचालन करेंगे श्री प्रवेश शर्मा (IAS), पूर्व प्रबंध निदेशक, Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC) एवं पूर्व कृषि सचिव, मध्यप्रदेश। कृषि प्रशासन और नीति निर्माण में उनका व्यापक अनुभव, जमीनी समझ और गहन अध्ययन इस चर्चा को तथ्यात्मक,

नई दिल्ली (कृषक जगत)। राष्ट्रीय कृषि समाचार पत्र कृषक जगत द्वारा कृषि नीतियों को सरल और स्पष्ट रूप में किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई विशेष पॉडकास्ट संवाद श्रृंखला 'किसान, खेती और नीति' प्रारम्भ की जा रही है। यह पहल देशभर के किसानों, कृषि विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं के बीच सार्थक संवाद की सेतु बनेगी।

प्रामाणिक और मार्गदर्शी बनाएगा। उनके अनुभवों से न केवल वर्तमान नीतिगत पहलुओं की स्पष्टता मिलेगी, बल्कि किसानों के हित में भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

प्रथम कड़ी: ड्राफ्ट सीड बिल पर विशेष चर्चा - इस श्रृंखला की पहली कड़ी में ड्राफ्ट सीड बिल पर विशेष चर्चा होगी। बीज कृषि उत्पादन की आधारशिला है, इसलिए बीज गुणवत्ता, प्रमाणन, नियमन और किसान अधिकारों से जुड़े प्रावधानों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है।



प्रस्तावित विधेयक में बीज पंजीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, दंडात्मक प्रावधान और किसान हितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिनका सीधा प्रभाव खेती की लागत और उत्पादकता पर पड़ेगा। इस एपिसोड में निम्न विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी - ड्राफ्ट सीड बिल की प्रमुख धाराएँ, किसानों के अधिकार और

दायित्व, बीज कंपनियों की जवाबदेही, गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता, नीति में सुधार की संभावनाएँ।

कार्यक्रम विवरण-तिथि: 24 फरवरी,

YouTube

समय: प्रातः 10 बजे, प्रसारण मंच: कृषक जगत का आधिकारिक यूट्यूब चैनल। किसानों और नीति निर्माताओं के बीच सशक्त कड़ी।

'किसान, खेती और नीति' का मुख्य उद्देश्य है - जटिल नीति विषयों को सरल बनाना, किसानों और नीति-निर्माताओं के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना, किसान-केंद्रित नीति निर्माण को सशक्त करना। यह श्रृंखला केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि किसानों की आवाज़ को नीति विमर्श तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। कृषि क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में जागरूकता और समझदारी ही भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। आइए, इस सार्थक पहल से जुड़ें। नीति को समझें और अपनी भागीदारी को सशक्त बनाएं।

इफको का हे वादा,
लागत कम उत्पादन ज्यादा

500 मिली बॉटल मात्र
₹ 225/-

इफको नैनो उर्वरकों को प्रत्येक बॉटल पर ₹. 10000/- (अधिकतम 2 लाख) का आकस्मिक दुर्घटना बीमा मुफ्त

फसलों की भरपूर पैदावार के लिए

इफको के उत्पादों की उत्कृष्ट श्रृंखला

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड

राज्य कार्यालय- ब्लॉक 2, तृतीय तल, पर्यावास भवन अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

अधिक जानकारी हेतु : www.nanourea.in - www.nanodap.in शाहक सेवा हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री): 1800 103 1967

[/ifcco.coop](https://www.facebook.com/ifcco.coop) [/ifcco_coop](https://www.instagram.com/ifcco_coop) [/ifcco_PR](https://www.youtube.com/ifcco_PR) [/ifcco](https://www.youtube.com/ifcco)

आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर कृषि

500 मिली बॉटल मात्र
₹ 600/-

एमएसपी पर खरीद को सुदृढ़, पारदर्शी बनाएं : श्री शिवराज सिंह



नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली आवास पर National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (NAFED) की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दलहन एवं तिलहन की खरीद व्यवस्था, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ सुनिश्चित करने और संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।

बैठक में मूल्य समर्थन योजना (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण निधि (PSF) के तहत संचालित खरीद कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि MSP पर खरीद को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य बिना किसी विलंब के मिल सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया

कि खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हों और किसानों को कोई असुविधा न हो।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

बैठक में विशेष रूप से तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनों के उत्पादन और खरीद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। इसके तहत प्रस्तावित '6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के तहत उत्पादन वृद्धि, उन्नत बीजों की उपलब्धता, तकनीकी सहयोग और प्रभावी विपणन तंत्र विकसित करने पर चर्चा की गई। इस मिशन का उद्देश्य भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है।

बैठक में कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार मेहरदा, अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी, नाफेड के प्रबंध निदेशक श्री दीपक अग्रवाल और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान किसानों तक सस्ती होगी AI, जियो लॉन्च करेगा 'जियो कृषि'

नई दिल्ली (कृषक जगत)। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि जिस तरह जियो ने देश में डेटा को किफायती बनाया, उसी तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आम नागरिक और खासकर किसानों तक सस्ती दरों पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को 'इंटेलिजेंस एरा' में आत्मनिर्भर बनाना समय की जरूरत है। श्री अंबानी ने विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए 'जियो कृषि' प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की।

यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी स्थानीय सभी प्लेटफॉर्म हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भाषा में ये सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा - मौसम कार्य करेंगे, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी आधारित सटीक सलाह, फसल रोग प्रबंधन मार्गदर्शन, बाजार भाव और मांग का पूर्वानुमान, सिंचाई और जल प्रबंधन की स्मार्ट सलाह। कंपनी का दावा है कि AI आधारित यह प्रणाली खेत स्तर पर निर्णय लेने में मदद करेगी, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो अगले सात वर्षों में लगभग रु. 10 लाख करोड़ निवेश करेंगे। गुजरात के जामनगर में गीगावॉट-स्तर का AI-रेडी डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआती 120 मेगावॉट क्षमता 2026 के अंत तक चालू करने का लक्ष्य है।

भारतीय भाषाओं में AI - श्री अंबानी ने जोर देकर कहा कि तकनीक तभी सफल होगी जब वह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो। जियो कृषि सहित



सशक्तिकरण भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि जियो की AI पहल जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू होती है, तो यह कृषि सलाह, लागत नियंत्रण और बाजार संपर्क के क्षेत्र में बदलाव ला सकती है। खासकर मौसम अनिश्चितता और बढ़ती लागत के दौर में AI आधारित फसल प्रबंधन किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।

इसका उपयोग कर सकें। AI से रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि नई तकनीक खेतों में दक्षता बढ़ाएगी और एग्री-टेक, ड्रोन संचालन, डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेगी। श्री अंबानी ने प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि AI आधारित कृषि और ग्रामीण



लोकसभा/राज्यसभा में कृषि (निमिष गंगराडे)

प्याज किसानों को 2 वर्ष में मिला 701 करोड़ से अधिक का बीमा दावा

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि में प्याज उत्पादक किसानों को रु. 701.54 करोड़ के बीमा दावों का भुगतान किया है। यह जानकारी कृषि राज्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर देते हुए बताया कि इस अवधि में प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में कुल 27.21 लाख किसान आवेदनों को प्याज फसल बीमा के तहत शामिल किया गया। महाराष्ट्र में सबसे अधिक किसानों का पंजीकरण हुआ और यहीं सबसे अधिक दावों का भुगतान भी किया गया। इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्याज फसल को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाने पर बीमा कवरेज दिया जाता है।

प्याज किसानों को दावों का भुगतान (2022-23 से 2024-25)			
राज्य	किसान आवेदन (संख्या)	प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र का अंश (रु. करोड़)	भुगतान किए गए दावे (रु. करोड़)
आंध्र प्रदेश	1,79,154	6.57	85.57
छत्तीसगढ़	2,592	0.32	0.31
कर्नाटक	94,143	41.32	91.12
महाराष्ट्र	22,21,403	256.86	453.61
ओडिशा	14,903	0.45	0.17
राजस्थान	57,756	11.15	21.95
तमिलनाडु	1,51,531	22.88	48.80
कुल	27,21,482	339.53	701.54

आंकड़े 31 दिसंबर 2025 तक के हैं।

पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2025 पर CCFI की आपत्तियाँ संतुलित नीति और स्वदेशी उद्योग की पैरवी



नई दिल्ली (कृषक जगत)। Crop Care Federation of India (CCFI) ने प्रस्तावित Pesticide Management Bill 2025 (PMB 2025) पर अपनी विस्तृत आपत्तियाँ और सुझाव भारत सरकार को सौंपे हैं। 4 फरवरी 2026 को हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं के बाद प्रस्तुत इन सिफारिशों का उद्देश्य स्वदेशी एग्रोकेमिकल उद्योग के हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलित, पारदर्शी और नवाचार-समर्थक नियामक ढांचा सुनिश्चित करना है।

सरकार की परामर्श प्रक्रिया की सराहना : CCFI ने बिल के मसौदे को तैयार करने में अपनाई गई परामर्श प्रक्रिया का स्वागत किया। CCFI के चेयरमैन श्री दीपक शाह ने विशेष रूप से डेटा एक्सक्लूसिविटी को शामिल न करने और प्राइस कंट्रोल से संबंधित प्रावधान हटाने को उद्योग हित में सकारात्मक कदम बताया।

मिसब्रांडिंग और दंड प्रावधानों पर चिंता : फेडरेशन ने कहा कि मिसब्रांडिंग के मामलों में कंपनी के निदेशकों को स्वतः आरोपी बनाए जाने की व्यवस्था पर पुनर्विचार आवश्यक है। इसके अलावा, कुछ अपराधों के लिए प्रस्तावित जुर्माने और दंड को अत्यधिक बताते हुए उन्हें तर्कसंगत बनाने की मांग की गई है।

बिक्री पर रोक की व्यापक शक्तियों पर सवाल : CCFI ने केंद्र और राज्य सरकारों को कीटनाशकों की बिक्री पर एक वर्ष तक प्रतिबंध लगाने की व्यापक शक्तियाँ

दिए जाने पर चिंता जताई है। संगठन का मानना है कि ऐसी शक्तियों के साथ स्पष्ट जवाबदेही तंत्र होना चाहिए।

निर्यात पर संभावित असर : फेडरेशन ने उस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई है, जिसके तहत भारत में प्रतिबंधित उत्पादों की उन देशों में भी बिक्री या वितरण रोका जा सकता है, जहाँ उनकी मांग और अनुमति मौजूद है। इससे भारत के एग्रोकेमिकल निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नवाचार और NCE अनुसंधान को बढ़ावा देने की मांग : CCFI ने कहा कि बिल में नई केमिकल एंटीटी (NCE) के अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कोई टोस प्रावधान नहीं है। संगठन के अनुसार, यह Make in India और आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है।

एआई आधारित कृषि समाधान और डिजिटल भविष्य : CCFI के चेयरमैन श्री

दीपक शाह ने एआई आधारित कृषि समाधानों के लोकतंत्रीकरण को परिवर्तनकारी बताया और India AI Mission के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक तकनीक पहुंचाने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कम बैंडविड्थ और बहुभाषीय वातावरण में काम करने वाले स्वदेशी समाधानों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

ई-कॉमर्स के लिए स्पष्ट नियामक ढांचे की मांग : फेडरेशन ने PMB 2025 में ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री के लिए स्पष्ट नियमों को शामिल करने की सिफारिश की है।

इसमें कड़े लाइसेंसिंग मानदंड, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, खरीदार की पात्रता सत्यापन, लेनदेन रिकॉर्ड रखने और आवश्यक परिभाषाएँ जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है।

संतुलित और नवाचार-समर्थक नीति की अपेक्षा : CCFI ने सरकार से आग्रह किया है कि इन सुझावों पर तार्किक रूप से विचार किया जाए। संगठन का मानना है कि संतुलित और उद्योग-समर्थक नियामक ढांचा न केवल किसानों के हित में होगा, बल्कि भारत को वैश्विक एग्रोकेमिकल विनिर्माण और अनुसंधान केंद्र के रूप में मजबूत करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

किसान कल्याण वर्ष में दूध उत्पादन से बढ़ाएंगे किसानों की आय : डॉ. यादव

विशाल किसान सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री



भोपाल (कृषक जगत)। एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान है। डॉ. यादव ने ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने प्रदेश सरकार की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य है और राज्य सरकार ने पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

कृषि प्रदर्शनी और हितलाभ वितरण

किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें 16 स्टॉल लगाए गए थे। प्रदर्शनी में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने सरकार की

किसान हितैषी योजनाओं के तहत किसानों को प्रतीक स्वरूप हितलाभ भी वितरित किए।

किसानों के उत्साहवर्धन में सरकार का योगदान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान सम्मेलन के साथ-साथ स्थानीय किसानों द्वारा आयोजित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ में भी भाग लिया और विजेताओं को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देने की घोषणा की। इस अवसर पर 28 बैलगाड़ियों को 5-5 हजार रुपये का प्रोत्साहन राशि देने के साथ प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के लिए क्रमशः 21 और 11 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की।

सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह ने भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ग्वालियर क्षेत्र के लिए हमेशा बड़ी सौगातें लेकर आते हैं।

किसान सम्मेलन में जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

गेहूं विक्रय के लिए 1.81 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

भोपाल (कृषक जगत)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपाजन के लिये अब तक एक लाख 81 हजार 793 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। पंजीयन की कार्यवाही 7 मार्च तक जारी रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रुपये अधिक है।

मत्स्य उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य

भोपाल (कृषक जगत)। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पवार ने विभागीय योजनाओं की प्रगति, प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया तथा आगामी 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। श्री पवार ने कहा कि 'किसान कल्याण वर्ष' में मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले मछुआरों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाए। श्री पवार ने सहकारिता के माध्यम से मछली पालन के साथ सिंघाड़ा, कमलगट्टा एवं मखाना जैसी पूरक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

वर्ष 2025-26 के लिए

प्रदेश सरकार के तृतीय अनुपूरक बजट में 19,287 करोड़ का प्रावधान

भोपाल (कृषक जगत)। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान के तहत कुल 19,287.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें 8,934.03 करोड़ रुपये राजस्व मद में और 10,353.29 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में शामिल हैं। सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट में 19,287.32 करोड़ के प्रस्ताव में 1650 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने पिछले दिनों में लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए किया है। बजट में 950 करोड़ रुपये की व्यवस्था नए कर्ज का ब्याज भुगतान करने और 700 करोड़ रुपये पुराने कर्ज के ब्याज राशि भुगतान के लिए तय किए गए हैं। इस अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 23 फरवरी का दिन तय किया है। अनुपूरक बजट में बुनियादी ढांचे, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा और स्थानीय निकायों को प्राथमिकता दी गई है।

ऊर्जा पर फोकस

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत राज्य ऊर्जा कंपनियों को अल्पकालीन ऋण के रूप में 2,630 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

पंचायतों को सहायता

पंचायत विभाग को अतिरिक्त स्टॉप शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान के लिए 605 करोड़ रुपये मिलेंगे।

सिंचाई, जल योजनाओं के लिए बड़ी राशि

नर्मदा घाटी विकास विभाग को विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 4,700 करोड़ रुपये का

प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग को बांध और संबंधित कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के तहत जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़ रु. रखे गए हैं।

एमएसएमई और खनिज मद

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के लिए 213 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से विकास कार्यों को गति मिलेगी और बुनियादी ढांचे के साथ सामाजिक योजनाओं को मजबूती मिलेगी।

00E7S00E76 T6+
+91 9730057300

अधिक जानकारी के लिए 200-250M/एकड़

माइटेम

कृषि

एग्रिस

कृषि का काम माइटेम

प्राथमिक और नवंबर में

एग्रिस

कृषक जगत

संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्धिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराडे

अमृत जगत

विचारकों को जो चीज आज स्पष्ट दिखती है दुनिया उस पर कल अमल करती है। - विनोबा भावे

सदियों से भारतीय कृषि में पशुपालन के महत्व को कोई नहीं नकार सकता है, कृषि और पशुपालन एक-दूसरे के पूरक ही तो हैं। आमतौर पर देखा गया है कि ग्रीष्मकाल में दुधारू मवेशियों से दुग्धोत्पादन में कमी आ जाती है। जिसका मुख्य कारण गर्मियों में हरे चारे का संकट आता है जो दुग्धोत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आज से कुछ दशक पहले रबी की फसलों को काटने के बाद खेत खाली पड़े रहते थे, केवल आंशिक क्षेत्रों में ही कद्दूवर्गीय फसल उगाई जाती थी और हजारों-लाखों हेक्टर भूमि बेकार अनुपयोगी सी पड़ी रहती थी। शनैः - शनैः कृषि के लिये आवश्यक आदान सिंचाई जल के क्षेत्रों का विकास किया जाकर बरसात में व्यर्थ बह जाने वाले कीमती जल का संचय छोटे मध्यम तथा बड़े बांधों के द्वारा किया जाकर सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया। एक बार सिंचाई जल हाथ में आया तो क्षेत्र विशेष के विकास में जैसे पंख लग गये विपुल उत्पादन देने वाली विभिन्न फसलों का बीज का विकास हुआ, उन विकसित बीज को भूख मिटाने के लिये भरपूर उर्वरक का इंतजाम किया गया और हमारी कृषि की फसल सघनता 100 प्रतिशत से बढ़कर 200 प्रतिशत और आंशिक क्षेत्रों में 300 प्रतिशत तक बढ़ गई और इस बढ़े रकबे में

पशुओं के स्वास्थ्य के लिये हरे चारे का विस्तार

जायद की फसलों को लेकर अतिरिक्त आमदनी के प्रयास आज की तारीख में स्वप्न नहीं बल्कि साकार दिखाई दे रहे हैं। इससे हमारी खाद्यान्नों की समस्या का अंत हो गया परंतु आज भी हमारे पशुओं के लिये हरे चारे की कमी को पाटने के प्रयास पूरे नहीं हो सके हैं। खरीफ में वर्षा और वर्षा के परिणाम से रबी में तो पशुओं को हरा चारा मिल जाता है। परंतु गर्मी में हरे चारे की कमी से सीधा असर हमारे



दुग्धोत्पादन पर होता है। पूर्ण पोषक तत्वों के अभाव से पशु कमजोर हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिये डेयरी फार्म के क्षेत्रों में तथा उन किसानों के खेतों में हरा चारा लगाने का विस्तार किया जाये जहां सिंचाई के लिये पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं ताकि दुग्धोत्पादन की

समस्या पर विराम लगाया जा सके और ग्रीष्मकाल के दौरान होने वाले दूध की कमी का हल निकल जाये। हरे चारे की फसलों को आमतौर पर चार प्रकार से बांटा जा सकता है एक वर्षीय मौसमी चारा जिसमें मक्का, मकचरी, बाजरा, एम.पी. चरी, सूडान घास, दीनानाथ घास इत्यादि आते हैं। इसके अलावा दूसरे में दलहनी एक वर्षीय चारा फसल आते हैं जैसे लोबिया, मोट, ग्वार, मूंग, उड़द इत्यादि। उल्लेखनीय है कि दलहनी चारा फसल लगाने से एक तीर से दो शिकार होते हैं। अच्छा हरा चारा पशुओं के लिये साथ में वायुमंडल से नत्रजन का जमाव भूमि में होकर आने वाली फसल को लाभ के साथ भूमि की जैविक दशा में सकारात्मक परिवर्तन जो कि आम के आम गुठलियों के दाम कहलायेगा। तीसरा बहुवर्षीय घास एवं दलहनी चारा जैसे संकर हाथी घास, गिनी घास, पैरा घास आदि इसके बाद चौथा बहुवर्षीय वृक्षों की ऐसी प्रजाति जो हरी पत्तियां देकर चारा के लिये उपयोगी होती है जैसे अगस्थी, सेवरी, सुबबूल, इजरायली बबूल तथा देशी बबूल। इस प्रकार यदि कृषि के ऐसे सिंचित क्षेत्रों में जायद की फसलों के साथ-साथ चारा फसलों का भी विस्तार किया जाये तो हमारे पशुओं को ग्रीष्मकाल में पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सकेगा और दुग्ध का ग्रीष्मकाल में मंदा होता व्यापार सदैव हरा-भरा बना रहेगा। ध्यान रहे गेहूँ के भूसे के साथ इन चारों को मिलाकर पशु आहार अधिक पौष्टिक तथा पाचक बनाया जा सकता है। कृषकों को चाहिये कि जायद में हरे चारे की कोई ना कोई फसल लेकर अपने पशुओं को स्वस्थ रखें और दुधारू पशुओं से पर्याप्त दूध प्राप्त करते रहें।

खेती को खतरे में धकेलते व्यापार समझौते और कानून

• निलेश देसाई

खेती केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का आधार रही है और इसकी धुरी रही है-बीज। हजारों वर्षों से किसानों ने बीजों को चुना, सहेजा और साझा किया, जिससे जैव-विविधता का एक विशाल भंडार निर्मित हुआ, लेकिन 21वीं सदी में यह परंपरा एक कानूनी जुर्म में बदलती दिख रही है। केन्या और कोलंबिया ने जो चेतावनियां दी थीं, वे अब भारत के 'बीज विधेयक 2025', 'यूरोपियन यूनियन' और अमरीका के साथ हुए व्यापार समझौतों तथा कृषि के डिजिटल रूपांतरण के चलते भारत के सामने खड़ी हो गई हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ अपनी ही जमीन पर, अपने ही पूर्वजों के बीज उगाना अवैध हो जाएगा?

केन्या-कोलंबिया 'बीज गुलामी' के वैश्विक उदाहरण

वर्ष 2012 में केन्या ने अपने 'सीड्स एंड प्लांट वैरायटीज एक्ट' में संशोधन किया। इस बदलाव के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों' का दबाव था। कानून ने प्रावधान किया कि बिना पंजीकरण और प्रमाणन के किसी भी बीज का आदान-प्रदान या बिक्री अपराध होगी, जिसके लिए 2 साल की जेल या भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप केन्या का छोटा किसान, जो सदियों से स्थानीय किस्मों पर निर्भर था, रातों-रात अपनी ही विरासत उगाने के अपराध में धर लिया गया।

भारत का 'बीज विधेयक 2025%: सुरक्षा या नियंत्रण?

भारत में प्रस्तावित 'बीज विधेयक 2025' पुराने 1966 के कानून को बदलने की तैयारी में है। सरकार का तर्क है कि यह कानून बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा और किसानों की आय बढ़ाएगा। हालांकि, इसकी परतों को उधेड़ने पर कुछ गंभीर चिंताएं सामने आती हैं। मसलन - विधेयक में व्यावसायिक बीजों के

पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। यद्यपि किसानों को अपने उपयोग के लिए बीज बचाने की छूट है, लेकिन 'व्यावसायिक बिक्री' की परिभाषा इतनी जटिल हो सकती है कि छोटा किसान अपने पड़ोसी



को बीज बेचने से पहले सौ बार सोचेगा।

विधेयक में नियमों के उल्लंघन पर रु. 50,000 से लेकर रु. 30 लाख तक के जुर्माने और जेल का प्रावधान है। यह कानून बड़ी बीज कंपनियों को 'शिकायतकर्ता' की भूमिका में लाकर छोटे किसानों को अदालतों में घसीटने का हथियार बन सकता है। 'भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 2026': बदलता समीकरण अभी, फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया व्यापार अनुबंध ने भारतीय कृषि के लिए एक नया 'अग्निपथ' तैयार कर दिया है। अमेरिका का दबाव हमेशा से 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' को संरक्षित करने पर रहा है।

इस अनुबंध से भारत के कुछ बड़े किसानों को अमेरिकी बाजार में पहुंच मिलेगी, लेकिन इसकी कीमत छोटे और मझोले किसानों को चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका से आने वाले सस्ते और सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद (जैसे मक्का, सोयाबीन और डेयरी उत्पाद) भारतीय किसानों की घरेलू कीमतों को गिरा सकते हैं। अमेरिका लंबे समय से भारत में 'जीन संवर्धित' (जीएम) बीजों के प्रवेश का रास्ता खोलने का दबाव बनाता रहा है। यदि इन अनुबंधों के प्रभाव में

भारत अपनी नीतियों में ढील देता है, तो हमारे देशी बीजों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। भारत-अमरीका समझौते के करीब सालभर लटक रहेने की वजह भी 'जीएम' उत्पादों को प्रवेश नहीं देने का यही विवाद था।

बजट और डिजिटलाइजेशन: 'एग्री-स्टैक' का मायाजाल

2026 के बजट में कृषि के डिजिटलाइजेशन और डिजिटल 'एग्री-स्टैक' के लिए अभूतपूर्व बजटीय आवंटन किया गया है। 'एग्री स्टैक' सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा 'डिजिटल फॉउण्डेशन' है जिसका उद्देश्य भारत में कृषि को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और डेटा तथा डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके

पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने 'यूरोपियन संघ' और अमरीका के साथ दो अलग-अलग व्यापार समझौते किए हैं। इन दोनों समझौतों में 'यूरोपियन संघ' के 27 देशों और अमरीका के भारी-भरकम सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों को भारत में खपाने की तजबीज प्रमुख है, लेकिन इससे हमारी छोटी जोत की, मंहगी लागत या बुनियादी जरूरतों तक से बेजार खेती और उसमें लगे किसानों का क्या होगा?

किसानों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करना है। हर खेत का अपना 'डिजिटल आईडी' और हर फसल की 'क्यूआर कोड' सुनने में तो आधुनिक लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरे को समझना जरूरी है।

जब किसान के खेत का पूरा डेटा डिजिटल सर्वर पर होगा, तो बड़ी बीज कंपनियां इस डेटा का उपयोग किसानों को लक्षित विज्ञापन देने या उन्हें अपनी विशेष किस्मों के जाल में फंसाने के लिए करेंगी। यदि 'बीज विधेयक 2025' में देशी बीजों पर कोई प्रतिबंध लगता है, तो 'डिजिटलाइजेशन' उस प्रतिबंध को लागू करने का सबसे प्रभावी हथियार बनेगा। 'सैटेलाइट इमेजिंग' और 'डिजिटल रिकॉर्ड्स' के जरिए यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस किसान ने 'अपंजीकृत' बीज बोए हैं।

भारत : यूरोपीय संघ 'मुक्त व्यापार समझौते' की चुनौती

अभी 27 जनवरी '26 को हुए 'मुक्त व्यापार समझौते' में यदि भारत 'यूरोपीय संघ' के साथ व्यापार के लालच में 'यूपीओवी' (इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स) के मानकों को अपनाता है, तो हमारी 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001)' की वह धारा (धारा 39) खत्म हो जाएगी जो किसानों को बीज बेचने का कानूनी अधिकार देती है। यह भारतीय कृषि के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है।

'यूरोपीय संघ' के साथ की व्यापार वार्ताओं में अक्सर 'यूपीओवी' की सदस्यता की शर्त रखी जाती है। केन्या ने यही गलती की थी।

बीज संप्रभुता की सुरक्षा ही समाधान

केन्या और कोलंबिया के उदाहरण हमें जगाने के लिए हैं। भारत को अपनी नीतियों में कानूनी कवच लगाना होगा। 'बीज विधेयक 2025' में यह स्पष्ट और अपरिवर्तनीय प्रावधान होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में किसान का बीज साझा करना 'जुर्म' नहीं माना जाएगा। सरकार को कॉर्पोरेट बीजों की बजाय 'सामुदायिक बीज बैंकों' को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। किसानों के डेटा पर पहला अधिकार किसानों का होना चाहिए, न कि बड़ी कंपनियों का। कृषि विश्वविद्यालयों को हाइब्रिड के बजाय देशी बीजों की उत्पादकता सुधारने पर शोध करना चाहिए।

भारत के सामने आज जो परिदृश्य है, वह केवल अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि संस्कृति और अस्तित्व का है। केन्या में जो हुआ, वह कानून की एक भूल थी; भारत में जो होने जा रहा है, वह एक सचेत निर्णय होगा। यदि हम व्यापारिक समझौतों और 'डिजिटलाइजेशन' की चमक में अपने 'बीज' खो देते हैं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की 'खाद्य सुरक्षा' को कॉर्पोरेट तिजोरियों में गिरवी रख देंगे। समय की मांग है कि हम 'विकास' की ऐसी परिभाषा चुनें जिसमें किसान के हाथ में हल भी हो और अपनी मिट्टी का आजाद बीज भी। क्योंकि, जिस देश का बीज गिरवी होता है, उस देश की थाली कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती।

(संप्रेस)



- हरीश बाथम (टेक्निकल ऑफिसर (कृषि), बीएआईएफ-बीआईएसएलडी)
- प्रकाश राय (संकुल प्रभारी समाधान परियोजना राजपुरा दरीबा), राजसमंद (राज.)
- डॉ. सचिन कुमार सिंह (एचओडी), कृषि विद्यालय, विक्रान्त वि.विद्या., ग्वालियर harish.batham@baif.org.in

लैंटाना ही क्यों?

लैंटाना बायोमास के रूप में एक आदर्श विकल्प है क्योंकि:
उच्च कैलोरी मान
● लैंटाना की लकड़ी का ऊर्जा मान बहुत अधिक होता है।

पैलेट निर्माण की विस्तृत प्रक्रिया

लैंटाना से पैलेट्स बनाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाता है-
संग्रहण और कटाई : जंगलों या बंजर भूमि से लैंटाना को जड़ के ऊपर से काटा जाता है। इसमें सूखी और हरी दोनों तरह की लकड़ियाँ शामिल हो सकती हैं।



सुखाना: पैलेट बनाने के लिए नमी का स्तर 10 से 12 प्रतिशत हो। कटे हुए लैंटाना को धूप में सुखाया जाता है या 'ड्रायर मशीन' का उपयोग किया जाता है।

क्रशिंग और चॉपिंग : बड़ी झाड़ियों को 'बुड चिपर' मशीन में डालकर छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। इसके बाद 'हेमर मिल' के जरिए इसे बारीक पाउडर या बुरादे में बदल दिया जाता है।

पैलेटइजेशन : यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस बुरादे को उच्च दबाव पर 'पैलेट मिल' के सांचों से गुजारा जाता है। उच्च तापमान और दबाव के कारण बुरादा संकुचित होकर कठोर, चमकदार और बेलनाकार पैलेट्स का रूप ले लेता है।

कूलिंग और पैकेजिंग : मशीन से निकलते समय पैलेट्स गर्म होते हैं। इन्हें 'पैलेट कूलर' में ठंडा किया जाता है और फिर नमी से बचाने के लिए बोरियों में पैक कर दिया जाता है।

लैंटाना बायो-पैलेट्स भविष्य का हरित ईंधन

भारत के जंगलों और ग्रामीण इलाकों में लैंटाना एक अभिशाप बन चुका है। लैंटाना एक बहुत ही खतरनाक और आक्रामक खरपतवार है जो मुख्य रूप से खेतों में पोषक तत्वों व नमी सोखकर, पशुओं के लिए जहरीला बनकर और घनी झाड़ियाँ बनाकर फसलों को नष्ट करता है। यह बंजर जमीन पैदा करता है और कीटों व रोगों को आश्रय देकर खेती को आर्थिक नुकसान पहुँचाता है यह तेजी से फैलने वाली एक विदेशी झाड़ी है जो स्थानीय वनस्पतियों को खत्म कर देती है और जैव-विविधता के लिए खतरा पैदा करती है। लेकिन तकनीक के हस्तक्षेप से, अब इस 'जहरीली झाड़ी' को ऊर्जा के एक शक्तिशाली स्रोत बायोमास पैलेट्स में बदला जा रहा है। यह लेख लैंटाना के औद्योगिक उपयोग और पैलेट निर्माण की पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है।

● इसका कैलोरी मान लगभग 3800 से 4200 kcal/kg होता है।
● यह कई सामान्य लकड़ियों और यहाँ तक कि घटिया क्वालिटी के कोयले के बराबर टक्कर देता है।

लिग्निन की प्रचुरता

● पैलेट्स बनाते समय बुरादे को आपस में जोड़ने के लिए 'बाइंडर' या गोंद की जरूरत होती है।

● लैंटाना में लिग्निन की मात्रा बहुत अच्छी होती है।

● जब मशीन में इसे दबाया जाता है, तो गर्मी से यह लिग्निन पिघलकर प्राकृतिक गोंद का काम करता है।

इससे आपको ऊपर से कोई केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती और पैलेट पत्थर जैसा मजबूत बनता है।

कम राख और प्रदूषण
● कोयले को जलाने पर 20-30% तक राख निकलती है, जो बॉयलर को खराब करती है।
● लैंटाना पैलेट्स में राख की मात्रा मात्र 2 से 5 प्रतिशत होती है।
● इससे मशीनों की उम्र बढ़ती है और प्रदूषण भी कम होता है।

मुफ्त और असीमित कच्चा माल

● लैंटाना एक आक्रामक खरपतवार है।
● इसे उगाने के लिए किसान को बीज, खाद

या पानी नहीं देना पड़ता।

● यह जंगलों और बंजर जमीन पर मुफ्त में फैला हुआ है। इसे हटाने के लिए सरकार और वन विभाग भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे आपको कच्चा माल बहुत सस्ता या सिर्फ मजदूरी के दाम पर मिल जाता है।

पर्यावरण का रक्षक

अगर आप धान का पुआल जलाते हैं, तो प्रदूषण होता है। लेकिन अगर आप लैंटाना का पैलेट बनाते हैं, तो-

● आप जंगलों को इस जहरीली झाड़ी से मुक्त कर रहे हैं।
● इससे जमीन का वाटर लेवल सुधरता है और अन्य देशी घास/पौधों को उगने की जगह

विशेषता	कोयला	लैंटाना पैलेट्स
पर्यावरणीय प्रभाव	उच्च प्रदूषण (CO ₂)	कार्बन न्यूट्रल
राख	20% - 30%	2% - 5%
लागत	महंगी और आयातित	सस्ती और स्थानीय उपलब्धता
मिट्टी पर प्रभाव	कोई लाभ नहीं	बंजर भूमि का सुधार

और अच्छा चारा मिलता है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ता है और किसान की आय में वृद्धि होती है।

कार्बन क्रेडिट : अगर आप बड़े स्तर पर लैंटाना हटाकर वहाँ पेड़ लगाते हैं, तो भविष्य में आप oil Carbon Sequestration के जरिए 'कार्बन क्रेडिट' से भी पैसा कमा सकते हैं।

औद्योगिक उपयोग - सबसे बड़ा मार्केट फैक्ट्रियों में जहाँ भारी मात्रा में गर्मी की जरूरत होती है, वहाँ कोयले की जगह पैलेट्स का इस्तेमाल होता है-

थर्मल पावर प्लांट : बिजली बनाने के लिए अब कोयले के साथ 5-10 प्रतिशत बायोमास पैलेट्स मिलाना अनिवार्य होता जा रहा है।

टेक्सटाइल और कपड़े की मिलें : यहाँ बॉयलर चलाने और भाप बनाने के लिए इसका उपयोग होता है।

ईट भट्टे : ईटों को पकाने के लिए कोयले के



मिलती है।

नमी का कम होना

लैंटाना की लकड़ी जल्दी सूखती है। पैलेट्स के लिए हमें 10-12 प्रतिशत नमी चाहिए होती है, जो लैंटाना को धूप में रखने मात्र से आसानी से मिल जाती है।

तकनीकी विनिर्देश

एक मानक लैंटाना पैलेट की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं :

- आकार : 6 से 10 एमएम व्यास
- नमी : < 10%
- राख : 2- 5% (कोयले की तुलना में बहुत कम)
- घनत्व : > 600 kg/m³ (परिवहन में आसान)

मिट्टी के माध्यम से आर्थिक लाभ

बंजर जमीन का पुनरुद्धार : लैंटाना से ढकी जमीन किसान के लिए बेकार होती है। इसे साफ करने के बाद वह जमीन फिर से खेती या चारे के लिए तैयार हो जाती है, जिससे जमीन की बाजार कीमत बढ़ जाती है।

खाद की बचत : चूँकि लैंटाना को हटाने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता वापस आती है, इसलिए बाद में वहाँ उगाई जाने वाली फसलों में रासायनिक खाद का खर्च कम हो जाता है।

पशुपालन में लाभ : जब लैंटाना हटता है, तो वहाँ पौष्टिक घास उगती है। इससे पशुओं को मुफ्त

विकल्प के रूप में।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री : दूध की डेयरी, बिस्किट फैक्ट्रियाँ और चीनी मिलों में भाप बनाने के लिए।

केमिकल और फार्मा कंपनी : दवाओं और रसायनों को गर्म करने के लिए।

व्यावसायिक उपयोग

शहरों और कस्बों में जहाँ बड़ी मशीनों की जरूरत होती है-

होटल और ढाबे : तंदूर, भट्टी और बड़े वाटर हीटर चलाने के लिए।

अस्पताल : पानी गर्म करने और कपड़े सुखाने के लिए बड़े बॉयलरों में।

सामुदायिक रसोई : जैसे गुरुद्वारे या मिड-डे मील की रसोई में बड़े बर्तनों में खाना पकाने के लिए।

घरेलू उपयोग

पैलेट स्टोव : खाना पकाने के लिए विशेष प्रकार के चूल्हे आते हैं जिनमें पैलेट्स का धुआँ बहुत कम निकलता है।

रूम हीटर : ठंडे इलाकों में घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी की जगह पैलेट्स जलाए जाते हैं।

- संजय हिंगवे (एसोसिएट ब्रीडर-ओकरा)
ईगल सीड्स एंड बायोटेक प्राइवेट लि., इंदौर
hingve@eagleseeds.in

भिंडी भारत की एक प्रमुख सब्जी फसल है, जिसकी मांग साल भर बनी रहती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है और किसानों के लिए कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल मानी जाती है। सही तकनीक और देखभाल से भिंडी की खेती बेहद लाभकारी साबित हो सकती है।

महत्व

भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा विटामिन A और C प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पाचन के लिए लाभकारी होती है तथा मधुमेह रोगियों के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। यह किसानों को शीघ्र लाभ प्रदान करती है।

जलवायु और भूमि

भिंडी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इसकी अच्छी वृद्धि के लिए 25-35°C तापमान अनुकूल माना जाता है। यह फसल हल्की दोमट से लेकर बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देती है। भूमि का जल निकास अच्छा होना चाहिए तथा मिट्टी का pH मान 6 से 7.5 के बीच हो।

उन्नत किस्में

भारत में भिंडी की कई उन्नत संकर किस्में उपलब्ध हैं, किसानों को अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना बहुत ज़रूरी है।

संकर किस्म चयन के फायदे

- अधिक उपज
- गहरा हरा रंग
- एकसार फल
- जल्दी और आसान तुड़ाई
- रोगों के प्रति सहनशीलता

बुवाई का समय और विधि

ग्रीष्मकालीन फसल के लिए फरवरी-मार्च तथा खरीफ फसल के लिए जून-जुलाई का समय उपयुक्त होता है। बीजों की बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45-60 सेमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी रखें। प्रति हेक्टेयर 8-10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है।

भिंडी की बुवाई में रिज एंड फरो और फ्लेट बेड विधि दोनों इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन चुनाव मिट्टी, पानी और मौसम पर निर्भर करता है।

रिज एंड फरो विधि कब इस्तेमाल करें : भारी मिट्टी, जो पानी रोक लेती है, मानसून/खरीफ में जब बारिश अधिक होती है।

तरीके : उभार : 30-40 से.मी. ऊँचा, 60 से.मी. चौड़ा और फरो

भिंडी

कम लागत में अच्छी कमाई



प्रमुख संकर किस्में भिंडी की संकर किस्में

किस्में प्रकार	किस्में प्रकार
Eagle-3801	- Fv Hybrid
Eagle vv Plus	- Fv Hybrid
Eagle Green	- OP Variety
Reeta	- Fv Hybrid
Raadhika	- Fv Hybrid
Navya	- Fv Hybrid
अर्का अनामिका	- OP Variety
परभनी क्रांति	- OP Variety
पंजाब पद्मिनी	- OP Variety
वर्षा उपहार	- OP Variety
अर्का अभय	- OP Variety

ये किस्में अधिक उत्पादन देने वाली तथा कुछ रोगों के प्रति सहनशील होती हैं।

(खाई) : 15-20 से.मी. गहरी, बीज उभार पर डालें।

फायदा : जलभराव से बचाव, जड़ों में हवा और नमी का संतुलन और बीमारियों का कम खतरा।

फ्लेट बेड (समतल) विधि कब इस्तेमाल करें : हल्की या दोमट मिट्टी, सिंचाई आसानी से उपलब्ध हो और पानी जमा होने का डर कम हो।

तरीके : जमीन को समतल करके बुवाई, पंक्ति दूरी : 45-60 से.मी., पौधे की दूरी : 25-30 से.मी., सिंचाई : नियमित, पर जलभराव नहीं।

फायदा : बीज बोना और तुड़ाई आसान, सिंचाई कम मेहनत वाली, बड़े पैमाने पर खेती में आसान।

संक्षेप में सुझाव

मिट्टी/हालात सबसे अच्छा तरीका

भारी मिट्टी/ बारिश ज्यादा रिज एंड फरो
हल्की / दोमट मिट्टी फ्लेट बेड प्लान

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन

अच्छी उपज के लिए प्रति हेक्टेयर 20-25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि तैयारी के समय डालें। इसके अतिरिक्त 100 किग्रा नाइट्रोजन, 60 किग्रा फॉस्फोरस और 50 किग्रा पोटैश की सिफारिश की जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय तथा शेष दो भागों में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें।

सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण

गर्मी में 5-7 दिन के अंतराल पर तथा बरसात में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। खेत को खरपतवार-मुक्त रखने के लिए 2-3 निराई-गुड़ाई आवश्यक होती है। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है।

कीट एवं रोग प्रबंधन

भिंडी में प्रमुख कीट तना एवं फल छेदक, सफेद मक्खी और माहू हैं। रोगों में Enation Leaf Curl Virus, पीला मोजेक वायरस (Yellow Vein Mosaic Virus) और पाउडरी मिल्ड्यू (Powdery Mildew) तथा Fusarium Wilt प्रमुख हैं। समय पर कीटनाशक व रोगनाशक का छिड़काव कर इनका नियंत्रण किया जा सकता है। रोग-प्रतिरोधी किस्मों का चयन भी लाभकारी होता है।

तुड़ाई और उपज

भिंडी के फल कोमल अवस्था में तोड़ें। पहली तुड़ाई बुवाई के 45-50 दिन बाद प्रारंभ हो जाती है। प्रति हेक्टेयर औसतन 100-150 किंटल उपज प्राप्त की जा सकती है।

निष्कर्ष : भंडी एक ऐसी सब्जी फसल है जो कम लागत में अधिक लाभ देने की क्षमता रखती है। वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर किसान इसकी अच्छी उपज और बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह फसल पोषण और व्यापार-दोनों दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी है।

किसान भाइयों को कृषि सलाह

आम सूखे मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसलों सब्जियों और फलों के पौधों में मुरझाने के समय ज्यादा तापमान के असर को कम करने के लिए एक और सिंचाई करें।

गेहूँ गेहूँ की सामान्य समय पर बोई गई गेहूँ की फसल में चौथी सिंचाई (बालियां आने की अवस्था) तथा देरी से बोई गई फसल में तीसरी सिंचाई (गांठ बनते समय) देने का भी यह उपयुक्त समय है।

चना-मटर चना और मटर की फसल पर चना छेदक कीट का हमला होने की संभावना है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए मैलाथियन 50 ईसी को 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

जीरा, मटर, सौंफ मेथी एवं धनिया तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सौंफ, मेथी, मटर, जीरा और धनिया की फसल

पर फफूंदी लगने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर सफेद पाउडर दिखाई देता है। डिनोकैप 48 ईसी का

1.0 मिलीलीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 डब्ल्यूपी का 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें या सल्फर पाउडर का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

टमाटर टमाटर में ब्लाइट बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। अगर लक्षण दिखें तो डाइथेन एम-45 को 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में मिलाकर स्प्रे करें।

अनार अनार की तितली के हमले से फल सड़ जाते हैं और समय से पहले गिर जाते हैं। हमला दिखने पर मैलाथियन



आम, अमरुद एवं अंगूर

50 ईसी को 1.0 प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आम, अमरुद और अनार पर मिलीबग कीट का हमला हो सकता है। ये कीट अपने हॉपर के ज़रिए इन पेड़ों की कोमल पत्तियों का रस चूसते हैं। मैलाथियन 50 ईसी को 1.0 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें।

आम, अमरुद एवं अंगूर की फसल में श्याम वर्ण (एनथ्रेक्नोज) रोग के लक्षण जैसे पत्तियों पर काले रंग के फफोलेनुमा धब्बे टहनियों का सूखना इत्यादि दिखाई देने पर रोग ग्रस्त टहनियों को काट कर नष्ट कर दें तथा पेड़ों पर कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी अथवा कार्बेन्डाजिम 50Wt का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें।

वर्मी कम्पोस्ट - वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए छायादार एवं हवादार स्थान का चयन करें। - सड़ा हुआ गोबर एवं फसल अवशेषों का ही उपयोग करें। - केंचुओं को तेज धूप और रटंड एवं अधिक नमी से बचाएँ।

वर्मी कम्पोस्ट



क्या प्रक्षेत्र जैव सुरक्षा रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोक सकती है ?

- डॉ. आर.एस. तायडे सह-प्राध्यापक पशुजन स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान विभाग
- डॉ. नवलसिंह रावत • डॉ. रंजित एच.
- डॉ. श्वेता राजोरिया • डॉ. प्रणव चौहान पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु (नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर)

जैव सुरक्षा और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बीच संबंध

रोगाणुरोधी प्रतिरोध वर्तमान में वैश्विक जनस्वास्थ्य एवं पशु-कल्याण के समक्ष उभरी सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, जिसका सीधा संबंध मानव और पशुधन दोनों में रोगाणुरोधी दवाओं के अनियंत्रित उपयोग से है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, समस्त विक्रय किए जाने वाले रोगाणुरोधकों का लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा अकेले पशुपालन क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। यदि वैकल्पिक समाधानों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो खाद्य-उत्पादक पशुओं में इनकी वार्षिक खपत वर्ष 2030 तक 104,079 टन के चिंताजनक स्तर तक पहुँचने का अनुमान है।

प्रक्षेत्र वातावरण में रोगाणुरोधी प्रतिरोध का फैलाव

पशुओं के जटरांत्र में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले रोगाणुरोधी-प्रतिरोधी जीवाणु, संपूर्ण कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। उपचाराधीन पशुओं के अपशिष्ट में औषधीय अवशेष और प्रतिरोधी रोगाणु दोनों पाए जाते हैं, जो मृदा और जल निकायों को संदूषित करते हैं। यह प्रदूषित जल सिंचाई के माध्यम से

जैव-सुरक्षा न केवल एक प्रक्रिया है, बल्कि संक्रामक कारकों के संचरण को रोकने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध को नियंत्रित करने का एक रणनीतिक हस्तक्षेप है। इस संदर्भ में, 'ज्ञान और कार्यान्वयन' के मध्य अंतराल को पाटने के लिए व्यापक और बहुआयामी रणनीतियों की आवश्यकता है। यह रणनीतियाँ जैव-सुरक्षा उपायों को जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु एक टिकाऊ व स्थायी संस्थागत ढाँचा सुनिश्चित कर सकती हैं।

किसान शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम

फार्मर फील्ड स्कूल दृष्टिकोण, पशुपालन की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु व्यवहार विज्ञान के सिद्धांतों और व्यावहारिक तकनीकों का अनूठा समन्वय करता है, जो पारंपरिक 'ज्ञान और अभ्यास' के मध्य अंतराल को सफलतापूर्वक पाटता है। प्रशिक्षित विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संचालित यह सहभागी शिक्षण पद्धति न केवल पशुपालकों के कौशल को निखारती है, बल्कि उनके दृष्टिकोण में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन भी लाती है। वैश्विक स्तर पर इसके परिणामों ने यह सिद्ध किया है कि जब सीखने की प्रक्रिया व्यावहारिक और समुदाय-आधारित होती है, तो जैव-सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के मानकों में क्रांतिकारी सुधार संभव है।

जैव सुरक्षा मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग

Biocheck.UGent जैसी वैज्ञानिक एवं

कम संक्रमण, कम एंटी बायोटिक, कम प्रतिरोध



पशुधन उत्पादन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के कारण प्रतिवर्ष 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की भारी आर्थिक क्षति होती है, जिससे रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) की रोकथाम अपरिहार्य हो गई है। यद्यपि रोगाणुरोधी औषधियों के प्रयोग को सीमित किया गया है, तथापि प्रतिरोधी जीवाणु न केवल सक्रिय हैं, अपितु विभिन्न पशु प्रक्षेत्रों के मध्य उनका निरंतर प्रसार हो रहा है। कई अध्ययनों में सुदृढ़ कृषि जैव सुरक्षा और रोगाणुरोधी उपयोग में कमी के बीच एक सकारात्मक संबंध दर्शाया गया है। चिकित्सीय रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध मानव और पशु चिकित्सा विज्ञान दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। अतः पशु-जन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के परिप्रेक्ष्य में, विविध प्रणालियों के भीतर AMR के नियंत्रण हेतु व्यापक और प्रभावी दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है। यह लेख जैव सुरक्षा उपायों के सफल हस्तक्षेपों के साथ-साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार और रोकथाम में प्रभावशालिता, और विभिन्न पशुधन उत्पादन सखंधी कार्यों में इन रणनीतियों की व्यावहारिकता पर चर्चा करता है।

खाद्य श्रृंखला में पुनः प्रवेश कर कृषि उत्पादों के उपभोग से जुड़ा जोखिम भी बढ़ जाता है। वैश्वीकरण के इस दौर में, पशुधन और खाद्य व्यापार के माध्यम से यह प्रतिरोध स्थानीय सीमाओं को लांघकर वैश्विक स्वास्थ्य संकट का

रूप ले लेता है, जो संक्रमित पशुओं के संपर्क और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से प्रसारित होता है।

अस्वच्छता और पशु घनत्व की भूमिका

शोध निष्कर्षों के अनुसार, रोगाणुरोधी प्रतिरोध का, दवाओं के अनियंत्रित उपयोग, साफ-सफाई

की कमी और दस्त जैसे संक्रामक घटनाओं की आवृत्ति से सीधा सहसंबंध है। उच्च पशुधन घनत्व, प्रतिरोध के विकास में एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अत्यधिक भीड़भाड़ वाली परिस्थितियाँ, संक्रामक रोगों के प्रसार के लिए अनुकूल

वातावरण तैयार करती हैं। विशेषकर कुक्कुट पालन केंद्रों में, उच्च घनत्व और अपर्याप्त जैवसुरक्षा के कारण, उच्च रोग-भार एवं रोगाणुरोधी दवाओं पर निर्भरता के बीच एक अटूट संबंध देखा गया है।

जैव सुरक्षा - एक निवारक उपकरण

जैव सुरक्षा उन समस्त उपायों का प्रतिनिधित्व करती है जो पशुओं में संक्रमण के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए अनिवार्य हैं। प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोणों के विपरीत, जो समस्याओं के उत्पन्न होने के बाद उनका समाधान करते हैं, जैव सुरक्षा एक रणनीतिक निवारक उपकरण है जो एक ओर इष्टतम उत्पादन, खाद्य सुरक्षा एवं पशु कल्याण, तथा दूसरी ओर संक्रमण, रोगाणुरोधी उपयोग और प्रतिरोध के बीच संतुलन बनाए रखती है। विभिन्न भौगोलिक स्थितियों, असमान आय-वर्गों, कृषि-जोत और संसाधन क्षमताओं के बावजूद, अनुभव जन्य साक्ष्य यह साबित करते हैं कि उन्नत जैव सुरक्षा मानक अपनाने से रोगाणुरोधी दवाओं की निर्भरता में भारी कमी आती है। ये संतोषजनक सफलताएँ रोग संचरण और रोगाणुरोधी निर्भरता को कम करने में प्रक्षेत्र-स्तरीय हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को रेखांकित करती हैं। विशिष्ट जैव सुरक्षा उपाय जैसे उचित रोग प्रबंधन, ऑल-इन/ऑल-आउट सिस्टम, नियमित सफाई, कार्टाइन बाड़े, और प्रभावी टीकाकरण, न केवल संक्रमण दर को घटाते हैं, बल्कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने में सबसे लागत-प्रभावी हस्तक्षेप सिद्ध हुए हैं। अतः जैवसुरक्षा को रोगाणुरोधी प्रतिरोध न्यूनीकरण कार्यक्रमों का आधारस्तंभ माना जाता है। वैश्विक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैव सुरक्षा के प्रति जागरूकता, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और प्रक्षेत्र-विशिष्ट कृषक-प्रशिक्षण के माध्यम से न केवल दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, बल्कि पशुपालन उद्यमों की लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए जैव सुरक्षा विस्तार की रणनीतियाँ

जोखिम-आधारित मूल्यांकन प्रणाली, पशु प्रक्षेत्रों पर जैव-सुरक्षा की गुणवत्ता का विश्लेषण करने हेतु एक अत्यंत प्रभावी और व्यापक वैश्विक उपकरण है। यह प्रणाली प्रक्षेत्र के आंतरिक एवं बाह्य जैव-सुरक्षा उपायों का सूक्ष्मता से परीक्षण करती है और उन्हें उनके सापेक्षिक जोखिम व महत्व के आधार पर वैज्ञानिक रूप से भारित करती है। यह प्रणाली न केवल प्रक्षेत्र-विशिष्ट वस्तुनिष्ठ प्राप्तांकन प्रदान करती है, बल्कि उत्पादकों को राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने में भी सक्षम बनाती है। अंततः, यह डेटा-आधारित दृष्टिकोण प्रक्षेत्रों पर जैव-सुरक्षा अंतराल की सटीक पहचान कर रोगाणुरोधी उपयोग को कम करने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करता है।

रोकथाम और नियंत्रण नीतियों के साथ एकीकरण

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रभावी नियंत्रण हेतु



जैव-सुरक्षा को व्यापक नीतिगत ढाँचों में एकीकृत करना समय की मांग है। वर्तमान में, जैव-सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किसानों पर केंद्रित है, जबकि उनके पास न्यूनतम

औपचारिक शिक्षा, ज्ञान के सह-निर्माण के सीमित अवसर और उद्योग व सरकार की ओर से अपर्याप्त सहयोग उपलब्ध है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए पशु चिकित्सा पैरा-प्रोफेशनल्स एक सेतु के रूप में उभर सकते हैं। विशेष रूप से उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पशु चिकित्सकों का अभाव है, ये प्रशिक्षित पैरा-प्रोफेशनल्स अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसे कई सफल उदाहरण मौजूद हैं जहाँ इन पेशेवरों ने कृषक समुदायों के साथ निरंतर संवाद और जागरूकता सत्रों के माध्यम से उनके व्यवहार एवं प्रबंधन पद्धतियों में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अतः एक समावेशी नीति वही

होगी जो किसानों को अकेले उत्तरदायी मानने के बजाय, उन्हें संसाधन संपन्न पैरा-प्रोफेशनल्स और सुदृढ़ सरकारी तंत्र के साथ जोड़कर एक साझा रक्षा पंक्ति तैयार करे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी

जैव-सुरक्षा के व्यापक विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी एक अनिवार्य और आधारभूत ढांचा प्रदान करती है। बीमा और क्षतिपूर्ति अनुबंध जैसे वित्तीय उपकरण न केवल उत्पादकों को संभावित आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें उच्च स्तरीय जैव-सुरक्षा मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। इसी दिशा में, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन निजी प्रक्षेत्रों में जैव-सुरक्षा उपायों की गुणवत्ता और निरंतरता को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही, उत्पादकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं और लागत-प्रभावशीलता को केंद्र में रखकर संचालित शोध परियोजनाओं को अनुदान प्रदान करना, रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा। हालांकि, ऐसी साझेदारियों की सफलता अंततः पूर्ण पारदर्शिता, स्पष्ट संवाद, साझा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और एक सुव्यवस्थित शासन तंत्र पर निर्भर करती है। संक्षेप में, जैव-सुरक्षा को एक साझा उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करना ही मानव और पशु स्वास्थ्य की दीर्घकालिक सुरक्षा का एकमात्र मार्ग है।

शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, झूठे साबित होते दावे

● विनोद के. शाह, स्वतंत्र पत्रकार
मो.: 9425640778
Shahvinod69@gmail.com

देश की पेयजल गुणवत्ता में निरंतर गिरावट

हाल ही में मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति के कारण लगभग पच्चीस से अधिक मानव मौतों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसके तुरंत बाद गुजरात के गांधीनगर में प्रदूषित पानी से टाइफाइड फैलने की घटनाओं ने चिंता को और गहरा कर दिया। यह समस्या केवल एक-दो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में पेयजल की स्थिति गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की स्वच्छ जल रैंकिंग-2025 में 172 देशों की सूची में भारत 138वें स्थान पर है। वर्ष 2013 के बाद से देश की पेयजल गुणवत्ता में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है।

बढ़ती जनसंख्या और तथाकथित विकास का मॉडल आज स्वच्छ जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। रासायनिक औद्योगिक अपशिष्ट, मेडिकल कचरा और सीवेज का गंदा पानी बिना समुचित शोधन के नदियों और जलस्रोतों में छोड़ा जा रहा है। खेती, उद्योग और शहरी आबादी द्वारा पारंपरिक जलस्रोतों से अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। बदले में उन्हीं स्रोतों में प्रदूषित जल प्रवाहित कर दिया जाता है। यह स्थिति किसी सामूहिक आत्मघात से कम नहीं है।

प्रतिवर्ष पाँच लाख बच्चों की मृत्यु



जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 और अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 1969 जैसे कानून आज केवल कानूनी पुस्तकों तक सीमित होकर रह गए हैं। देश का लगभग सत्तर प्रतिशत जल किसी न किसी रूप में प्रदूषित हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में संक्रामक बीमारियों का पाँचवाँ सबसे बड़ा कारण प्रदूषित जल है। केवल डायरिया से ही देश में प्रतिवर्ष लगभग पाँच लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि दो लाख से अधिक वयस्क गंदे पानी से जनित बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। देश की लगभग साठ करोड़ आबादी प्रतिदिन

पानी की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हें जैसा भी पानी उपलब्ध होता है, उसकी गुणवत्ता की परवाह किए बगैर वह उसे पीने और दैनिक उपयोग में लाने को मजबूर हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में पानी की मांग वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी। आज स्थिति यह है कि विश्व के कुल शुद्ध जल का केवल चार प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है, जबकि दुनिया की लगभग सत्रह प्रतिशत जनसंख्या का बोझ कंधों पर है।

नदियाँ आज गंदे नालों में तब्दील

कभी कल-कल बहने वाली नदियाँ आज गंदे नालों में तब्दील हो चुकी हैं। जो नदियाँ धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र थीं, वे आज गर्मी के दिनों में दुर्गंध छोड़ती दिखाई देती हैं। यही नदियाँ किनारों पर बसे शहरों और गाँवों की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराती हैं। ऐसे में मानव शरीर लगातार दूषित जल को शुद्ध करने के प्रयास में कमजोर पड़ता जा रहा है और अंततः जीवन से हारने लगता है। छोटी और स्थानीय नदियाँ अब बरसाती नालों के रूप में पहचानी जाने लगी हैं।

संस्थाएँ केवल सतही उपायों तक सीमित

बढ़ती जनसंख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण और जल संरचनाओं पर अतिक्रमण भविष्य के लिए गंभीर खतरे के संकेत हैं। दुर्भाग्यवश, इस विषय पर गहन और ईमानदार चिंतन के बजाय जिम्मेदार संस्थाएँ केवल सतही उपायों तक सीमित रह जाती हैं। नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गईं, किंतु

अपेक्षित परिणाम आज भी दूर हैं। अकेले मद्राज के एक सौ दस शहर के प्रोजेक्ट डीपीआर तैयार न होने से अटक के हुए हैं। स्थानीय निकाय एवं नगरीय प्रशासन जिम्मेदारी लेने के

भारत

आज दुनिया की तेजी

से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में

गिना जा रहा है। आर्थिक प्रगति,

आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और

तकनीकी विकास के दावे हर मंच पर किए

जा रहे हैं। किंतु इसी चमकदार तस्वीर के पीछे

एक कड़वी आंतरिक सच्चाई भी छिपी है- मानव

जीवन के लिए सबसे आवश्यक संसाधन पेयजल

की उपलब्धता और गुणवत्ता लगातार बदतर

होती जा रही है। यह विडंबना ही है कि जिस

देश ने विकास की ऊँचाइयों को छूने का

संकल्प लिया है, वही देश स्वच्छ और

सुरक्षित पेयजल के मामले में वैश्विक

स्तर पर निचले पायदान पर

फिसलता जा रहा है।

बजाए टाल-मटोल का खेल कर रहे हैं। राज्य में तीन साल के बाद नर्मदा, बेतवा सहित अन्य नब्बे नदियों में प्रदूषण में सुधार के बजाए कई गुना वृद्धि हो चुकी है।

नदियाँ उत्खनन और वनों की अंधाधुंध कटाई

देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना-बेतवा-केन लिंक का उदाहरण भी चिंताजनक है। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में स्थित बेतवा नदी का उद्गम स्थल

बिगत वर्ष गर्मी में सूख गया। लेकिन नदी शहरी सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के सहारे किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने को विवश रही। नदी की दुर्दशा एवं केन-बेतवा लिंक के भविष्य को लेकर नागरिक चिंतित हो उठे, लेकिन जिम्मेदार जब जागे तब मानसूनी बारिश ने इसे पुनर्जीवित घोषित कर दिया। किंतु वास्तविकता यह है कि आसपास के पाँच सौ एकड़ जंगल के विनाश और अनियंत्रित निर्माण ने भविष्य में ऐसे संकटों को स्थायी बना दिया है। इन हालातों में बेतवा एवं केन का भविष्य में मिलन अभी भी पहेली से कम नहीं है। पहाड़ी और जंगली नदियाँ उत्खनन और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पहले ही अपना अस्तित्व खो चुकी हैं।


शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा अमृत-1 और अमृत-2 योजनाएँ शुरू की गईं। इनका उद्देश्य सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना था। किंतु स्थानीय नगर निकायों द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी सुविधा और सीमित क्षमता के अनुसार किया गया। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई मौतों इसका भयावह उदाहरण हैं, जहाँ पेयजल पाइपलाइन को सीवेज नाले के नीचे से निकाला गया। घटिया गुणवत्ता की पाइपलाइन में रिसाव के कारण लोग लंबे समय तक सीवेज मिश्रित पानी पीते रहे थे।

शुद्ध पेयजल भले ही जीवन के अधिकार का हिस्सा हो, किंतु इसकी जिम्मेदारी लेने से सरकारी और निजी एजेंसियाँ प्रायः बचती रही हैं। लापरवाही पर सख्त दंड व्यवस्था के अभाव में

प्रशासन भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। एक रिपोर्ट के अनुसार गंदे पानी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 470 से 600 अरब रुपये का नुकसान होता है।

आज आवश्यकता है ईमानदार आत्ममंथन की-जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने, योजनाओं के वास्तविक और गुणवत्ता-आधारित क्रियान्वयन तथा जवाबदेही तय करने की। यदि अब भी समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो विकास के तमाम दावे प्रदूषित पानी में डूबकर रह जाएंगे।

घर-घर नल जल योजना लागू



देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर नल जल योजना लागू की गई, जो मुख्यतः भूमिगत जल स्रोतों पर आधारित है। किंतु इस योजना में जल की गुणवत्ता परीक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। कई स्थानों पर सूखे या कम जल देने वाले नलकूपों से ही आपूर्ति की जा रही है। जहाँ पानी उपलब्ध है, वहाँ नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, क्लोराइड और ई.कोलाई जैसे घातक तत्व एवं वैक्टरिया पाए जा रहे हैं। जल जीवन फंक्शनैलिटी असेसमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अकेले मध्यप्रदेश में ही ग्रामीण पेयजल के 36.7 प्रतिशत नमूने चिंताजनक गुणवत्ता वाले हैं। देशभर में आपूर्ति किए जाने वाले कुल जल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पेयजल मानकों पर खरा नहीं उतरता। निजी और सरकारी कॉलोनाइज़र द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों में भी जल परीक्षण की अनिवार्यता न होने से नागरिक अनजाने में प्रदूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और अहमदाबाद जैसे शहरों में इसके अनेक उदाहरण सामने आ चुके हैं।

मध्य प्रदेश बजट 2026-27

किसानों को देंगे 1 लाख सोलर पम्प



वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा बजट में किसानों को स्थायी सिंचाई पम्प कनेक्शन की योजना तहत 1 लाख 25 हजार ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। सिंचाई के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति और सुदृढ़ करने के लिए 'प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना' तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 हजार करोड़ रुपये की लागत के 1 लाख सोलर सिंचाई पम्प किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में दी जा रही राहत के लिए 20 हजार 485 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किसानों को 12 हजार की सहायता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसान परिवारों को 6 हजार रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6 हजार रुपए प्रतिवर्ष जोड़कर कुल 12 हजार रुपए का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग तहत 1 लाख 89 हजार किसानों द्वारा 75 हजार 650 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है।

उर्वरकों की होम डिलीवरी

किसानों की सुविधा के लिए उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्री-जीआईएस, एमपी किसान



बजट झूठे आंकड़ों, खोखले वादों का दस्तावेज है। 74 हजार करोड़ के राजकोषीय घाटे के बावजूद लम्बी घोषणाएं की गई हैं। जब सरकार के पास संसाधन ही नहीं है तो घोषित योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा।

- उमंग सिंघार
नेता प्रतिपक्ष (म.प्र.)

मोबाइल ऐप तथा एग्रीस्टैक का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल का भू-अभिलेख पोर्टल इंटीग्रेशन किया गया है। किसानों को उर्वरकों की होम डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट ई-विकास पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक तीन जिलों में सम्पन्न हो चुका है। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के लिए 1 हजार 299 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उद्यानिकी

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 28 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की पैदावार हो रही है। वर्तमान में फल फसलों का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन एवं सब्जियों का उत्पादन 259 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। इसे वर्ष 2030 तक क्रमशः 136 लाख एवं 344 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य है। उद्यानिकी गतिविधियों के लिए इस वर्ष सरकार ने 772 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना' के लिए 200 करोड़ रुपए एवं 'राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन' के लिए 152 करोड़ रुपए का प्रावधान सम्मिलित है।

पशुपालन

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा प्रदेश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 707 ग्राम है जो राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से लगभग 46 प्रतिशत अधिक है। मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है। इस उद्देश्य से 'डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना' तहत डेयरी स्थापना के लिए हितग्राहियों को अनुदान दिया जा रहा है।



31 हजार 758 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश कृषि उत्पादन और किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है।

बजट में प्रदेश के अन्नदाताओं के सशक्तिकरण और कृषि विकास को नई ऊंचाई देने का संकल्प है। बजट में कृषि विभाग के लिए 31 हजार 758 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश कृषि उत्पादन और किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है।

- एदल सिंह कंधाना
कृषि मंत्री

प्रदेश में संचालित लगभग 3 हजार गौशालाओं में 4 लाख 75 हजार गौवंश का पालन हो रहा है। गौवंश की उपयुक्त देखभाल के लिए प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की गई है। पशुपालन गतिविधियों के लिए 2 हजार 364 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें 'गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना' के लिए 620 करोड़ 50 लाख एवं 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' के लिए 250 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है।

मछली पालन

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन तथा 218 करोड़ स्टैण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए 412 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के लिए 181 करोड़ रुपए एवं 'मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना' के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सहकारिता

प्रदेश में 4 हजार 536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2026-27 हेतु 25 हजार करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख 'किसान क्रेडिट कार्ड' धारक हैं, जिनमें से लगभग 41 लाख किसानों को इन समितियों के माध्यम से 19 हजार 764 करोड़ का अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है। 'सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु 720 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।



बजट राज्य के विकास की दिशा और प्राथमिकता को तय करने वाला है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 772 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान से किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर विकसित होंगे।

- नारायण सिंह कुशवाहा
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री

फोटो गैलरी



प्रतीक चिन्ह भेंट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दतिया जिले के सेवदा में सिंधु नदी सेतु के उद्घाटन समारोह में प्रतीक चिन्ह भेंट किये गए।



एमओयू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मुंबई में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश और सिक्कोया क्लाउडमेट फाउंडेशन के मध्य एमओयू हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला एवं अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।



योजना का शुभारंभ

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में भारत विस्तार योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री श्री भागीरथ चौधरी एवं राजस्थान के कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा भी उपस्थित थे।



डायरी भेंट

प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में गतदिनों आयोजित दलहन सम्मेलन में हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा को कृषक जगत डायरी भेंट करते हुए प्रकाश दुबे।

बीज उत्पादन कार्यक्रम में रॉगिंग की महत्वपूर्ण भूमिका



टीकमगढ़

टीकमगढ़ (कृषक जगत)। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. बी.एस. किरार साथ ही वैज्ञानिक डॉ. एस.के. जाटव द्वारा कृषि महाविद्यालय, खुरई से आए हुए ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (रावे) कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को रॉगिंग की प्रक्रिया प्रयोगिक रूप में सिखाई गई। साथ ही बताया गया कि किसान भाई खेत में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं, तो खेत में रॉगिंग करना आवश्यक और अनिवार्य क्रिया है।

रॉगिंग का अर्थ है - खेत से अवांछित, अशुद्ध, रोगग्रस्त या किस्म से भिन्न पौधों को पहचान कर निकाल देना ताकि शुद्ध, गुणवत्तायुक्त और प्रमाणित बीज प्राप्त किया जा सके। रॉगिंग करने के बहुत महत्व होते हैं, जैसे - आनुवंशिक शुद्धता इसमें रॉगिंग द्वारा ऑफ-टाइप पौधों को

हटाया जाता है, जिससे बीज की आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। बीज प्रमाणीकरण में सहायक इसमें प्रमाणित एवं आधार बीज उत्पादन में रॉगिंग अनिवार्य है। बिना रॉगिंग के बीज प्रमाणीकरण संभव नहीं होता।

वैज्ञानिकों के अनुसार फसलों में रॉगिंग 4 बार की जानी चाहिये जैसे - अंकुरण अवस्था कमजोर एवं भिन्न पौधों की पहचान करके, वानस्पतिक अवस्था पत्तियों, तने एवं वृद्धि में भिन्नता होने पर, फूल आने की अवस्था फूलों के रंग, आकार एवं समय में अंतर होने पर, फल/बीज अवस्था फल या दाने के आकार-प्रकार में भिन्नता होने पर पौधों को निकाल देना चाहिये। प्रभावी रॉगिंग से ही शुद्ध, स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन संभव है, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रामदास को पॉली हाउस में गुलाब की खेती से हो रही साल भर आय

(उमेश खोड़े, कृषक जगत, पांडुर्ना)। बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। यह पहल दर्शाती है कि पॉलीहाउस जैसी आधुनिक तकनीकों को ग्राम सिवनी, जिला पांडुर्ना के कृषक श्री रामदास पाटे द्वारा उद्यान विभाग की MIDH योजना का लाभ लेकर पॉली हाउस निर्माण कर आधा एकड़ क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए गुलाब की खेती की जा रही है। संरक्षित खेती के इस सफल मॉडल से किसान को कम रकबे में पूरे वर्ष आय प्राप्त हो रही है, जो अन्य किसानों के लिए एक बेहतर और लाभकारी विकल्प के रूप में सामने आ रहा है।

कृषक श्री रामदास पाटे द्वारा की जा रही गुलाब की खेती का निरीक्षण उपसंचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने विभागीय टीम के साथ किया। निरीक्षण के दौरान संरक्षित खेती की तकनीकों, फसल की स्थिति और उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया गया तथा किसान से विस्तार से चर्चा की गई।

संरक्षित खेती के माध्यम से उत्पादित गुलाब की बाजार में अच्छी मांग बनी हुई है। कृषक द्वारा उपयोग कर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया उगाए गए फूल नागपुर भेजे जा रहे हैं, जिससे उन्हें

जा सकता है।



पांडुर्ना



अपनाकर किसान कम भूमि में भी अधिक और स्थायी आय अर्जित कर सकते हैं। श्री रामदास पाटे की यह पहल जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक है और यह साबित करती है कि शासन की योजनाओं का सही उपयोग कर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय बांस मिशन- कृषि भूमि पर बांस रोपण हेतु अनुदान योजना

बड़वानी (कृषक जगत)। राष्ट्रीय बांस मिशन (2025) कृषि भूमि पर बांस के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति पौधा ₹. 150 का अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हेक्टेयर या 4000 पौधे तय की गई है। अनुदान का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में दो वर्षों के दौरान तीन किस्तों में किया जाएगा (प्रथम वर्ष में ₹. 60 और ₹. 30, तथा दूसरे वर्ष में ₹. 60), जो कि पौधों के जीवित रहने और उनके भौतिक सत्यापन पर निर्भर करेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रमाणित नर्सरी या टिशू कल्चर लैब से ही पौधे खरीदने होंगे और वनमंडलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा।

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाएं

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

संकर सब्जी क्षेत्र विस्तार

प्रोजेक्ट : संकर सब्जी क्षेत्र विस्तार

घटक: संकर सब्जी फसल

उद्देश्य: बागवानी उत्पादन की उन्नति, कृषक संख्या में वृद्धि, आमदनी और पोषाहार सुरक्षा को बढ़ावा देना। गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री का उपयोग करते हुए उत्पादकता में सुधार लाना। बागवानी अनुसंधान, तकनीकी को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन आदि को बढ़ावा देना। कृषकों को आमदनी का स्थाई स्रोत उपलब्ध कराना। रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना। उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ाकर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बाजार में उद्यानिकी उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखना।

कार्यक्षेत्र : जिला- कटनी, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, मुरैना।

चयनित फसलें: सब्जी वर्गीय फसलें

स्वरूप: परियोजना अंतर्गत निर्धारित इकाई लागत राशि 50 हजार रुपये पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि 20 हजार रुपये देय है।

कृषक की पात्रता: सभी वर्ग के लघु एवं

सीमान्त कृषक।

अनुदान की पात्रता: निर्धारित इकाई लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है।

कृषक 155 पोर्टल पर पंजीयन करेगा एवं लक्ष्य जारी होने पर पोर्टल पर ही योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकेगा। आवेदित कृषकों की पात्रता का परीक्षण पोर्टल पर आवेदन करने के दौरान अपलोडेड दस्तावेजों के माध्यम से उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी करेगा।

हितग्राही चयन की प्रक्रिया: प्रत्येक माह की पहली तारीख को हितग्राहियों लॉटरी का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदकों की संख्या लक्ष्य से कम होने पर लॉटरी की आवश्यकता नहीं होगी। लॉटरी से चयनित कृषकों की सूची MPFSTS पोर्टल एवं विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी एवं चयनित कृषकों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

सम्पर्क: जिले के उप/सहायक संचालक, उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि.

स्रोत : जनसंपर्क विभाग म.प्र. के प्रकाशन 'नई राहें नए अवसर' से उद्धृत।

कामयाब किसान की कहानी

मधुमक्खी पालन से किसानों के जीवन में घुली मिठास

विदिशा (कृषक जगत)। परंपरागत खेती के साथ नवाचार को अपनाते हुए क्षेत्र के किसानों ने मधुमक्खी पालन के माध्यम से अतिरिक्त आय का सफल मॉडल प्रस्तुत किया है। इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं ग्राम ललोई के कृषक श्री रविंद्र रघुवंशी, जिन्होंने मधुमक्खी पालन को रोजगार के रूप में अपनाकर न केवल स्वयं लाभ अर्जित किया, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं।

कृषि विभाग के मार्गदर्शन में ग्राम ललोई के श्री रविंद्र रघुवंशी, ग्राम नंदूपुरा के श्री मनोज यादव तथा ग्राम सकरौली के श्री तुलसीराम आर्य ने इस नवाचार को अपनाया। प्रारंभ में प्रत्येक किसान को 2 मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराए गए, जो प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री सूर्यभान सिंह थानेश्वर एवं क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री सृष्टि रघुवंशी के माध्यम से वितरित किए गए।

श्री रविंद्र रघुवंशी ने इन बॉक्सों को अपने खेत में लगभग दो माह तक स्थापित किया, जहाँ उन्होंने सरसों की फसल भी लगाई। मधुमक्खियों

की उपस्थिति से फसल में परागण की प्रक्रिया बढ़ी, जिससे पैदावार बेहतर हुई। साथ ही सरसों की खेती कम लागत में और रोगमुक्त रही।

सिर्फ तीन माह में श्री रघुवंशी को मधुमक्खी बॉक्सों से लगभग 30 किलोग्राम शहद प्राप्त हुआ।

उन्होंने इस शहद को 500 रुपए प्रति किलो की दर से विक्रय कर अब तक लगभग 15,000 रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित की है। गुणवत्तायुक्त शहद उत्पादन के इस प्रयास की कृषि विभाग द्वारा

साराहना भी की गई है। श्री रविंद्र रघुवंशी अब अन्य किसानों को भी मधुमक्खी पालन अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कृषि विभाग भी विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से इन किसानों के उदाहरण प्रस्तुत कर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रहा है। यह पहल दर्शाती है कि वैज्ञानिक पद्धतियों एवं विभागीय सहयोग से किसान पारंपरिक खेती के साथ अतिरिक्त आय के नए स्रोत विकसित कर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं।



विदिशा

संतुलित खेती : कृषि का बदलता स्वरूप

किसान खेती में अलग-अलग प्रकार के रसायनों (केमिकल) का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसानों का अनुभव है कि हर साल इनके उपयोग मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, नई-नई बीमारियाँ बढ़ रही हैं और कीटों में कीटनाशकों के प्रति 'प्रतिरोधक क्षमता' विकसित हो रही है। इसके कारण अगली फसल में पहले से अधिक मात्रा में केमिकल का उपयोग करना पड़ता है जिससे किसान धीरे-धीरे एक 'केमिकल कुचक्र' में फँसता चला जाता है। इसी वजह से यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि 'केमिकल एक वरदान भी है और एक श्राप भी', क्योंकि जो केमिकल आज समस्या का समाधान प्रतीत होते हैं, वही भविष्य में किसानों के लिए नई और बड़ी समस्याओं का कारण बनते जा रहे हैं।



अगर तथ्यों की मानें तो भारत में लगभग 98 प्रतिशत खेती केमिकल पर आधारित है, और देश के हर कोने में किसान केमिकल से होने वाले नुकसान से अच्छी तरह परिचित हैं लेकिन कोई आसान और व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान इस केमिकल कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाते और मजबूरी में केमिकल का उपयोग जारी रखते हैं तब एकमात्र विकल्प जैविक खेती ही बचती है और पूरी तरह जैविक खेती अपनाए पर उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की जाती है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है।

इसी केमिकल और जैविक खेती के जटिल जहद के बीच एक नया चलन सामने आया है, जहाँ हजारों किसान इस केमिकल कुचक्र से बहार निकल रहे हैं जिसे किसानों ने 'संतुलित खेती' का नाम दिया है, आसान शब्दों में समझें तो संतुलित खेती का उद्देश्य 'उत्पादन को स्थिर रखते हुए खेती से केमिकल को

80 प्रतिशत तक कम करना है'। संतुलित खेती की विशेषता यह है की यह कोई अलग पद्धति नहीं है, यह किसानों को अपनी गति और सहूलियत के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से केमिकल घटाने का एक रास्ता दिखाती है और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संतुलित खेती को अपनाने वाले कई किसानों ने पहले ही सीजन से 50-60 प्रतिशत तक केमिकल के उपयोग में कमी दर्ज की है, जबकि कुछ किसानों ने सहूलियत के हिसाब से 10-20 प्रतिशत केमिकल का उपयोग घटाया और उत्पादन का स्तर पूर्व स्थिति के समान बना रहा।

विशेषज्ञों के अनुसार भारत की मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर 1950 के दशक में 1 प्रतिशत था, जो वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में 0.3-0.4 प्रतिशत रह गया है, जो स्वस्थ मिट्टी के लिए आवश्यक स्तर से काफी कम है और अगर ये स्तर 0.3 प्रतिशत से कम हुए तो ज़मीन बंजर होने की कगार पर आ जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसानों को मृदा परीक्षण, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के संतुलित उपयोग और जैविक विकल्पों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि केमिकल का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से कम किया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी तरह रसायन-मुक्त खेती हर किसान के लिए तुरंत अपनाया व्यवहारिक नहीं हो सकता, लेकिन संतुलित खेती एक मध्य मार्ग के रूप में किसानों को उत्पादन और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का अवसर देती है। यदि इसे बड़े स्तर पर अपनाया जाए तो न केवल मिट्टी की सेहत में सुधार होगा और उत्पादन में स्थिरता आएगी, बल्कि हर साल बढ़ रही नई-नई बीमारियों से भी राहत मिलेगी और धीरे-धीरे खेती को उसके पुराने, स्वस्थ स्वरूप की ओर वापस ले जाया जा सकता है।

प्रतिशत भाग से 60-80 से.मी. नीचे तक चला जाना चाहिए। फूल-फल अवस्था में हफ्ते में 1-2 सिंचाई हल्की मिट्टी में आवश्यक हो जाती है।

● फल तुड़ाई के 1-2 सप्ताह पहले सिंचाई रोक दें। मिट्टी में कितनी नमी है इसके लिये किसान टेन्सोमीटर का उपयोग कर सकते हैं।

समस्या- अरबी की खेती पहली बार करना चाहता हूँ, खाद की मात्रा तथा सिंचाई कितनी देनी पड़ेगी बतायें।

— पारसनाथ पाटीदार
समाधान- जुलाई के पूर्व 40 से 60 क्विंटल अच्छी सड़ी गोबर की खाद भूमि में मिला दें। बुआई के पूर्व 22 किलो नत्रजन, 25 किलो फास्फोरस तथा 25 किलो पोटेश प्रति एकड़ मान से कूड़ों में दें। नत्रजन तथा पोटेश की 10-10 किलो मात्रा दो बार में देना चाहिए। पहली मात्रा 7 से 10 सप्ताह निकलने पर तथा दूसरी मात्रा उसके एक माह बाद देनी चाहिए। खड़ी फसल में नत्रजन व पोटेश देने के बाद मिट्टी अवश्य चढ़ायें। साधारणतः बुआई के 4-5 दिन बाद पहली सिंचाई कर देना चाहिए। यदि कन्दों से सप्ताह सही आ रहे हों तो सिंचाई 8-10 दिन बाद ही करें। बाद में आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें। बुआई पूर्व बीज को थायरम व कार्बोसिन के 1.5-1.5 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से अवश्य उपचारित करें।

प्राकृतिक खेती - अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

स्वॉइल हेल्थ कार्ड क्या है?

स्वॉइल हेल्थ कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जो किसान को उसकी हर जोत के लिए दी जाएगी। इसमें 12 पैरामीटर के हिसाब से उसकी मिट्टी का स्टेटस होगा, जैसे एन.पी.के. (मैक्रो-न्यूट्रिएंट्स); (सेकेंडरी न्यूट्रिएंट); Zn, Fe, Cu, Mn, Bo (माइक्रो न्यूट्रिएंट्स); और pH, EC, OC (भौतिक मापदंड)। इसके आधार पर, स्वॉइल हेल्थ कार्ड खेत के लिए ज़रूरी फर्टिलाइज़र की सलाह और मिट्टी में बदलाव के बारे में भी बताएगा।

स्वॉइल हेल्थ कार्ड का क्या महत्व है ?

कार्ड में किसान की ज़मीन की मिट्टी में पोषण की स्थिति के आधार पर एक सलाह होगी। इसमें ज़रूरी अलग-अलग पोषण की खुराक के बारे में सलाह दी जाएगी। इसके अलावा, यह किसान को यह सलाह देगा कि उसे कौन से फर्टिलाइज़र और उनकी मात्रा डालनी चाहिए, और उसे कौन से मिट्टी में बदलाव करने चाहिए, ताकि अच्छी पैदावार हो सके। यह 3 साल के साइकिल में एक बार मिलेगा, जो उस खास समय के लिए किसान की ज़मीन की मिट्टी की हेल्थ की स्थिति बताएगा। अगले 3 साल के साइकिल

में दिया गया SHC उस बाद के समय के लिए मिट्टी की हेल्थ में हुए बदलावों को रिकॉर्ड कर पाएगा।

मिट्टी के सैंपल लेने का तरीका क्या है?

मिट्टी के सैंपल (GPS) जीपीएस उपकरण और राजस्व नक्शों की मदद से सिंचित इलाके में 2.5 हेक्टर और बारिश वाले इलाके में 10 हेक्टर के ग्रिड में लिए जाएंगे। मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। मिट्टी को "V" शेप में काटकर, एक प्रशिक्षित व्यक्ति 15-20 सेंटीमीटर की गहराई से सैंपल इकट्ठा करेगा। इसे खेत के चारों कोनों और बीच से इकट्ठा करके अच्छी तरह मिलाया जाएगा और इसका एक हिस्सा सैंपल के तौर पर लिया जाएगा। छया वाली जगहों से बचा जाएगा। चुने गए सैंपल को बैग में डालकर कोड किया जाएगा। फिर इसे एनालिसिस के लिए स्वॉइल टेस्ट लैब में भेजा जाएगा। राज्य सरकार अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टाफ या किसी आउटसोर्स एजेंसी के स्टाफ के ज़रिए सैंपल इकट्ठा करती है। मिट्टी के सैंपल आमतौर पर साल में दो बार लिए जाते हैं, एक के बाद एक रबी और खरीफ फसल की कटाई के बाद या जब खेत में कोई फसल खड़ी न हो।

समस्या-समाधान

समस्या- आम के पुराने बगीचे में पानी कब-कब लगायें?

— रामसुजान त्रिपाठी



समाधान ● आम के पुराने बगीचे में वर्षा ऋतु के बाद फल आने तक पानी नहीं देने से फूल जल्दी तथा एक साथ आते हैं। ● आम में फूल (बौर) आने से लेकर फल पकने तक सिंचाई देना अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। 50 प्रतिशत पेड़ों में यदि फूल आ गये हों तथा 50 प्रतिशत से अधिक फूल खिल गये हों तो सिंचाई आरंभ कर देनी चाहिए या फिर यह कार्य 60 प्रतिशत फूल की कलियों के निकलने के बाद करें। ● सिंचाई की मात्रा पेड़ के विकास, मिट्टी, वाष्पीकरण, जड़ों की गहराई आदि पर निर्भर करेगी, पानी पेड़ की छांव के कम से कम 40

Organized By **Radeecal communications** In Association with

15th Agri Asia

Asia's Prime Exhibition On Agriculture Technology

11 12 13
सितंबर 2026

हेलीपैड एग्जिबिसन सेन्टर, गांधीनगर, गुजरात

गुजरात का नंबर 1 कृषि-प्रदर्शन

नई कृषि तकनीक के लिए विशाल प्रदर्शन

स्पेशल हॉल पोल्ट्री पेवेलियन

Concurrent Events
DLP EXPO ASIA DAIRY LIVESTOCK AND POULTRY EXPO
AGRI COMPONENTS EXPO ON AGRICULTURE COMPONENTS ASIA

Supported by

275+ प्रदर्शक	1,50,000+ सिमितों की कुल संख्या	5000+ डीलर्स भारत भर में
500+ प्रतिनिधि	20+ सम्मेलन वक्ता	50+ अंतर्राष्ट्रीय खरीदार

अपना स्टॉल अभी बुक करें

+91 91738 26807 E: agrisia@agrisia.in | W: www.agrisia.in

स्वास्थ्य

सेहत में लाभकारी लाल शिमला मिर्च

त्वचा के लिए लाभकारी : लाल शिमला मिर्च में आयरन, विटामिन, बीटा कैरोटीन आदि भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए यह त्वचा से चकते और उम्र के धब्बों की रोकथाम में मदद करती है। लाल शिमला मिर्च की नियमित रूप से इस्तेमाल मेलोनिन के उत्पादन को सीमित कर रंग में सुधार करता है।

स्पाइडर वेन्स को ठीक करें : अगर आपके शरीर में स्पाइडर वेन्स है तो नियमित रूप से लाल शिमला मिर्च का सेवन कर आप आसानी से इस समस्या से छुटाकारा पा सकते हैं। लाल शिमला मिर्च में कुछ गुण होते हैं जिससे रक्त की आपूर्ति में रुकावट नहीं आती और नसों को मजबूत करते हैं।

एजिंग की समस्या में लाभकारी : लाल शिमला मिर्च बीटा कैरोटीन से समृद्ध होती है। यह शरीर में प्रवेश करने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। यह झुर्रियों के विकास को रोकने और एक उज्ज्वल रंग को बढ़ावा देकर एक स्वस्थ त्वचा के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बालों को झड़ने से बचाता है : बालों का झड़ना लोगों की आम समस्या है और लाल शिमला मिर्च की पर्याप्त सेवन से इस समस्या का हल धीरे-धीरे किया जा सकता है। क्योंकि यह विटामिन बी-6 का अमीर स्रोत होने के कारण बालों के रोम को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा

स्थानांतरण करता है। यह बालों की जड़ों में रक्त परिसंचरण में सुधार करके बालों के विकास को उत्तेजित करता है।

बालों की प्राकृतिक रंग को बनाए रखता है : जो लोग बालों के सफेद होने की समस्या से चिंतित हैं उन लोगों के लिए नियमित रूप से लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल वरदान की तरह है। इसमें मौजूद विटामिन बी-6 मेलोनिन के उत्पादन को उत्तेजित करता



लाल शिमला मिर्च को लोग सब्जी और सलाद दोनों ही रूपों में बड़े चाव से खाते हैं। लाल शिमला मिर्च में विटामिन सी, ए और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब्जी स्वाद ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें कैलोरी की मात्रा नाममात्र की होने के कारण यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती। साथ ही यह वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है।

है। अगर आप इसका उपभोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने बालों के लिए लाल रंग देने के लिए मेंहदी के साथ इसके पाउडर को जोड़ सकते हैं। हालांकि, आप अपने सिर पर सीधे इसे लागने से पहले अपनी कलाई पर एक पैच परीक्षण करना चाहिए।

सूजन कम करे : लाल शिमला मिर्च में अद्भुत एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और आँटों प्रतिरक्षा रोगों से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होता है। गठिया से पीड़ित लोग को नियमित रूप से मसाला के रूप में इसका इस्तेमाल

करने से सूजन और दर्द से राहत मिल सकती है।

हाइपरटेंशन में उपयोगी : लाल शिमला मिर्च में केपसिसिन की उपस्थिति शरीर में रक्तचाप के स्तर को कम करने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। हाइपरटेंशन से पीड़ित लोगों लाल शिमला मिर्च के इस्तेमाल से रक्तचाप के स्तर में कमी पा सकते हैं।

नुरंत ऊर्जा प्रदान करे : विटामिन बी-6 एक कोइंजिमी है इसके सेवन से शरीर के अंदर अन्य एंजाइमों ठीक करने का कार्य करते हैं। यह एंजाइम शरीर के भीतर जैव रसायनिक प्रतिक्रियाओं करते हैं और ऊर्जा के उत्पादन का नेतृत्व करते हैं, ग्लूकोज के साथ शरीर को न्यूरोट्रांसमीटर के साथ हीमोग्लोबिन प्रदान करते हैं।

आंखों के लिए लाभकारी : कमजोर आंखों वाले लोगों के लिए लाल शिमला मिर्च का सेवन आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके मसाले में मौजूद अन्य यौगिकों उम्र से संबंधित आंख की समस्याओं के खतरे को कम करने में उपयोगी होता है।

नमस्कार कब, क्यों और कैसे करें



आजकल नमस्कार करने की परिभाषा बदल रही है, ऐसे में हम बच्चों को संस्कारित कैसे करें। अतः यह बताना आवश्यक है कि नमस्कार कब, क्यों और कैसे करें।

एक समय था कि नमस्कार की एक विशेष प्रथा थी जिस कारण प्रायः सभी स्वस्थ रहते थे। जब घरों में कोई अतिथि आते हैं तो कुछ खाना-पीना अवश्य होता है। उन अतिथि के साथ परिवार के सदस्य भी खाते हैं, जो कि विशेष रूप से मेहमान के लिए बनाया जाता है, जबकि दैनिक दिनचर्या में हम सात्विक एवं हल्का भोजन ही खाते हैं।

इस विशेष रूप से बनाए जाने वाले भोजन को पचाने के लिए व्यायामयुक्त नमस्कार करने की प्रथा बनाई गई है। नमस्कार करने से हमारा अहंकार नष्ट होता है। विनय गुण नम्रता विकसित होती है एवं मन शुद्ध होता है।

अतः प्रथम नमस्कार अपनी ओर से ही करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम अथवा चरण स्पर्श करने से आयु, सम्मान, तेज और शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। संत-महात्माओं के दर्शन मात्र और चरण स्पर्श से तीन जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हमारा कल्याण होता है। संत-महात्माओं ने जिस तप को बड़ी मेहनत करके एवं त्याग-तपस्या से प्राप्त किया है, उस तप को वे खुले दिल से देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई लेता है तो खुश होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे दुकानदार का जितना भी माल बिकता है वह उतना ही खुश होता है। संत-महात्मा जग का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं।

रायसेन की विशेषताएं

कृषि प्रधान हिन्दुस्तान जय जवान जय किसान, रायसेन के अन्नदाता बासमती चावल की उगाय धान।

मध्यप्रदेश के पर्यटक स्थल रायसेन विदिशा को मिली सौगात, भीम बैठका और सांची का स्तूप को घोषित विश्व विख्यात।

रायसेन की आई सुप्रभात कलम उठाई हाथ, कोरे कागज पर लिख दिया नई ऊर्जा के साथ।

मध्य प्रदेश के रायसेनवासी है अमन चमन, स्वस्थ तन स्वस्थ मन तभी है नम्बर बन।

हर भारतीय थामें रहिए एक दूसरे का हाथ अनेकता में एकता लायें नित नई ऊर्जा के साथ।

उदयगिरि हरियाली से भरी कैलाश पर्वत जैसी निखरी, गुफाओं में पत्थरों पर देवताओं की मूर्तियां उकेरी।

रायसेन जिला के इतिहास के पन्नों में लिख दिया, सांची का स्तूप युनेस्को ने विश्व विख्यात घोषित किया।

चारों दिशाओं में तोरण द्वार पर बौद्ध जीवन कथायें दर्शाई, सैकड़ों वर्षों का इतिहास याद कराती ये पर्यटकों को भाई।

रायसेन की आबादी घनी वासियों की किस्म बनी, सब किस्मत के धनी सबके हाथों में मनी ही मनी।

सांची स्तूप देखने की ललक हर को रहती है, प्रतिदिन हजारों पर्यटकों को हाजिरी दर्शाती है।

- श्रीमती सतरूपा सोने, प्रताप वार्ड- टिकारी, बैतूल

स्वाद और सेहत से भरा भोजन

● गेहूं के आटे में मौसमी सब्जियां या पकी हुई छिलके वाली दाल डालकर स्वादिष्ट पराठे बना सकते हैं व इसे दही व रायते के साथ खा सकते हैं। यह संपूर्ण पौष्टिक आहार होगा।

● गेहूं का दलिया या चावल की खिचड़ी बनाते समय उसमें गाजर, मटर, भुट्टे के दाने, धनिया, प्याज आदि डालिए स्वाद भी बढ़ जाएगा और पौष्टिक, विटामिन्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी।

● बेसन गट्टे बनाते समय पत्तेदार सब्जियां या लौकी किस कर मिला देने से गट्टे की सब्जी की पौष्टिकता बढ़ जाएगी।

● कढ़ी में मटर या ताजी चवला फली के दाने या हरे चने, पालक, धनिया या मिक्स सब्जियां डाल सकते हैं।

● टमाटर, गाजर, अमरुद, अंगूर, धनिया, पोदीना, करौंदा, कैरी आदि की चटनी बनाकर हम विटामिन सी एवं फ्रूट शर्करा प्राप्त कर सकते हैं।

● तिन्नी, मूंगफली, भूने चने, सूखे खोपरे या लौकी, तरोई, करेले आदि के छिलके में हींग, जीरा, नमक, हल्की सी मिर्च व 1 चम्मच शक्कर डालकर स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं जो कि खराब भी नहीं होती है।



पाश्विक पंचांग

23 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक

विक्रम संवत् 2082

फाल्गुन शुक्ल 6 से चैत्र कृष्ण 5 तक

दि. माह	वार	तिथि/त्यौहार
23 फरवरी	सोम	फाल्गुन शुक्ल 6
24 फरवरी	मंगल	7/8 होलाष्टक प्रारंभ
25 फरवरी	बुध	9
26 फरवरी	गुरु	10
27 फरवरी	शुक्र	11 आमलकी एकादशी
28 फरवरी	शनि	12
01 मार्च	रवि	13 प्रदोष व्रत
02 मार्च	सोम	14 होलिका दहन
03 मार्च	मंगल	15 होली उत्सव, चंद्रग्रहण
04 मार्च	बुध	चैत्र कृष्ण 1 बसंतोत्सव
05 मार्च	गुरु	2 भाई दोज
06 मार्च	शुक्र	3 गणेश चतुर्थी व्रत
07 मार्च	शनि	4
08 मार्च	रवि	5 रंग पंचमी

किसानों के लिए मृदा परीक्षण आधारित STCR तकनीक उपज लक्ष्य निर्धारित करें : डॉ. श्रीवास्तव



जबलपुर (कृषक जगत)। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की प्रेरणा से विश्वविद्यालय अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में लगातार उन्नति और प्रगति कर रहा है। इसी श्रृंखला में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (आईआईएसएस), भोपाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से डॉ. संजय श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं परियोजना समन्वयक अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना मृदा परीक्षण एवं फसल अनुक्रिया, के साथ डॉ. प्रमोद झा, प्रधान वैज्ञानिक का मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र विभाग में आगमन हुआ। इस दौरान डॉ. संजय सहित अन्य ने भ्रमण कर STCR आधारित गतिविधियों का मृदा परीक्षण labs, Field experiments लक्षित उपज निर्धारण, उर्वरक अनुशंसा, तथा FLDs पर चल रहे प्रदर्शन कार्यों का अवलोकन किया गया। डॉ. संजय श्रीवास्तव ने

तकनीक के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव दिए। इसी तरह डॉ. प्रमोद झा, प्रधान वैज्ञानिक द्वारा भी कार्बन प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य सुधार पर कार्य के महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर विभागाध्यक्ष एवं आचार्य डॉ. बी. के. दीक्षित, परियोजना अन्वेषक ने कहा कि 5 टन गोबर खाद प्रति हेक्टेयर उपयोग करने से मृदा की संरचना में सुधार होता है और इसके साथ-साथ पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। डॉ. जी. एस. टैगोर परियोजना सह-अन्वेषक ने मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र द्वारा परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों, प्रायोगिक परिणामों एवं किसानों को दी जा रही अनुशंसाओं की जानकारी प्रस्तुत की।

इस अवसर पर विभाग के डॉ. राकेश साहू, डॉ. बी. एस. द्विवेदी, श्री धर्मेन्द्र विजयवर्गीय, डॉ. शैलू यादव एवं अनुसंधान कर रहे छात्र एवं छात्राएं भी उपस्थित रहे।

कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में पीएम श्री स्कूल छात्राओं का भ्रमण



सिवनी (कृषक जगत)। पीएम श्री शासकीय कन्या हाई स्कूल छपारा जिला सिवनी की छात्राओं ने कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में भ्रमण किया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के क्राप कैफेटेरिया का विजिट कराया गया। क्राप कैफेटेरिया की उपयोगिता एवं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य निर्माण की विस्तार से जानकारी प्रदान की। साथ ही डॉ. जीके राणा

द्वारा पोषण वाटिका, केंचुआ खाद उत्पाद तकनीक, अजोला उत्पादन तकनीक एवं पशुपालन इकाई का भ्रमण कराया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. निखिल कुमार सिंह, डॉ. राजेंद्र सिंह ठाकुर, इंजी. कुमार सोनी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव एवं श्रीमती लीलेश्वरी टेमरे, श्रीमती केबी श्रीवास्तव, श्रीमती शिखा साहू, श्री मयंक साहू, शिक्षकों की उपस्थिति रही।

जलीय कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम

धार (कृषक जगत)। धार में मत्स्य पालकों हेतु जलीय कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मत्स्य कृषक शामिल हुए। सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री टी.एस.चौहान द्वारा बताया गया कि मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य कृषक समृद्धि सह योजना अंतर्गत जलीय कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र धार में किया गया। मत्स्य कृषकों द्वारा अधिक संख्या में भागीदारी कर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। इच्छुक मत्स्य पालक अपनी मत्स्य सम्पदा का बीमा कराने हेतु सर्वप्रथम नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीयन करवाए, पंजीयन कराने हेतु दी गई वेबसाइट <https://nfdp.dof.gov.in/> का उपयोग करें। योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रीमियम राशि का 40 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन राशि 25000 रुपये तथा एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर जलक्षेत्र तक देय प्रोत्साहन राशि एक लाख रुपये रहेगी। विस्तृत जानकारी के लिए एन.एफ.डी.बी. के टोल फ्री नंबर 1800-425-1660 पर कॉल करें अथवा कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला धार में संपर्क करें।

प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन



पन्ना (कृषक जगत)। कृषि विज्ञान केंद्र, पन्ना एवं इफको के संयुक्त तत्वाधान में अमानगंज के घटारी पंचायत में प्रक्षेत्र दिवस मसूर का आयोजन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रमण्डल सदस्य श्री संजीव खरे के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र, पन्ना द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के समूह अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दलहन कार्यक्रम अंतर्गत रबी वर्ष 2025-26 में जिले में 50 हे. क्षेत्रफल में 90 कृषकों के यहां मसूर की उन्नत प्रजाति एल 4727 का प्रदर्शन किया गया। उपरोक्त प्रजाति उकठा रोधी एवं अधिक उत्पादन देने वाली है।

केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. पी.एन. त्रिपाठी द्वारा रबी फसलों की समसामयिकी पर चर्चा की गई। इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राजेश मौर्या द्वारा इफको के विभिन्न उत्पाद यथा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित उर्वरक की चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना के वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्री रितेश बागोरा द्वारा एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यक्रम में उन्नतशील कृषक श्री तरुण पाठक, श्री किशोर सिंह एवं इफको से श्री शुक्ला सहित प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे।



कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार



भोपाल-जयपुर-रायपुर



वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक

- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि

⇒ वार्षिक रु. 600/- ⇒ दो वर्ष रु. 1000/-

⇒ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से 'कृषक जगत' - प्रति सप्ताह □ भोपाल □ जयपुर □ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम

ग्राम

डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें :

वि.ख. तह.

जिला पिन [] [] [] [] राज्य

शिक्षा भूमि उम्र

ट्रेक्टर/मॉडल फोन/मो.

ई-मेल

मेरा सदस्यता शुल्क रुपये नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/मनीऑर्डर/क्र. 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861

<http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php> कृषक जगत हेलपलाइन नम्बर **6262166222**

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org

जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952

रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.), मो. : 9826255862

इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864

नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952



सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

कलश सीड्स की कृषक संगोष्ठी



शाजापुर (कृषक जगत)। शाजापुर जिले के ग्राम चौसला कुल्मी में बीज कम्पनी कलश सीड्स प्रा.लि. द्वारा गत दिनों प्याज बीज 'कलश किंग' किस्म को लेकर कृषक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि कृषि विज्ञान केन्द्र शाजापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मुकेश सिंह, विशेष अतिथि वरिष्ठ किसान एवं व्यापारी श्री भारत सिंह नाहर, उद्यान अधीक्षक श्री सुमित पाटीदार थे। इस मौके पर कलश सीड्स के जनरल मैनेजर श्री सचिन मिश्रा, मप्र के वितरक श्री महेश पटवारी, स्थानीय अधिकृत विक्रेता भारत बीज भंडार बेरछा के संचालक श्री सुनील नाहर सहित कई व्यापारी एवं किसानों ने भाग लिया।

देपालपुर क्षेत्र में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल आड़ी पड़ी

किसानों को होगा आर्थिक नुकसान, सर्वे एवं सहायता की मांग

(शैलेश ठाकुर, कृषक जगत, देपालपुर)। गेहूं, रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। अधिकांश किसान रबी में गेहूं की खेती पर निर्भर रहते हैं। जब फसल पककर तैयार होने की स्थिति में हो, तभी यदि बेमौसम बारिश और तेज हवा चल जाए, तो महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा हाल ही में देपालपुर क्षेत्र में हुई बेमौसम वर्षा के दौरान देखने को मिला। देपालपुर और आसपास के क्षेत्र में खेती में खड़ी और पकने को तैयार गेहूं की फसल आकस्मिक वर्षा से आड़ी पड़ गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा।

ग्राम बिरगोदा के किसान श्री विष्णु वासुदेव ठाकुर, श्री राजेश बाबूलाल ठाकुर, देपालपुर के श्री मोतीराम ठाकुर, तलावली



के राजेश परमार, श्री मोनू पटेल आदि ने बताया कि देपालपुर सहित क्षेत्र के कई गांवों में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों का

कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन द्वारा तत्काल सर्वे कराकर वास्तविक नुकसान का आकलन करना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को बीमा राहत राशि मिले।

बता दें कि गेहूं की फसल में जब दाना भरने और पकने की अवस्था होती है, तब उसकी बालियां भारी हो जाती है। तेज हवा और लगातार बारिश से पौधे अपनी जड़ों से कमजोर होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसे कृषि विज्ञान की भाषा में 'लॉजिंग' कहा जाता है। आड़ी गिरी फसल से कई तरह की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। ऐसे प्राकृतिक प्रकोप से किसानों को उत्पादन हानि के साथ-साथ बाजार में भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

अमेरिका ट्रेड डील से कपास के दाम गिरे

भाकिसं ने सीसीआई से पंजीयन तिथि बढ़ाने की मांग की

इंदौर (कृषक जगत)। किसानों की उपज के दाम प्रकृति के व्यवहार, बाजार की स्थिति और अन्य अनपेक्षित कारणों पर निर्भर होते हैं, जिनके कारण फसल के दाम गिर जाते हैं। इस वर्ष कपास फसल के साथ यही हुआ। भारत की अमेरिका से ट्रेड डील के बाद शेर बाजार में गिरावट आने से कपास के दाम गिर गए। इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर सीसीआई ने पंजीयन कपास उत्पादक किसानों से कपास खरीदी की अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित कर दी है। ऐसे में जो किसान पंजीयन नहीं करा पाए उन्हें मजबूर होकर खुले बाजार में कम कीमत पर कपास बेचना पड़ेगा। इसमें उन्हें बहुत घाटा होगा। ऐसे वंचित किसानों के लिए भाकिसं ने सीसीआई से पंजीयन तिथि बढ़ाने की मांग की है। कपास के दामों को लेकर कृषक जगत के खरगोन एवं पांडुना जिले के प्रतिनिधियों द्वारा भेजी जानकारी पर आधारित यह रिपोर्ट प्रस्तुत है।

भारतीय किसान संघ, सौंसर के अध्यक्ष श्री आशीष पंवार ने पांडुना प्रतिनिधि श्री उमेश खोड़े को बताया कि निजी क्षेत्र में पहले कपास खरीदी का बाजार भाव 8 हजार से 8400 रु तक था। जब यह स्थिति थी तब कपास के भाव रोज 100-200 रु बढ़ रहे थे तो किसानों को लग रहा था कि कपास के भाव 10 से 12 हजार तक जाएंगे और किसानों को अच्छा लाभ होगा, लेकिन सरकार द्वारा 11 प्रतिशत टैक्स लगाने

के बाद जो राहत महसूस हुई थी वह अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील हुई थी उसके बाद शेर मार्केट में गिरावट आ गई। इस साल किसानों की कपास की फसल खराब हुई, उत्पादन भी कम हुआ और बाजार गिरने से किसानों को तिहरा नुकसान हो गया। सीसीआई में फिलहाल कपास किसानों का पंजीयन बंद है। पंजीयन किसानों के कपास खरीदी की अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित की गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसान हित में सीसीआई को अपना पंजीयन पोर्टल फिर से खोलना चाहिए, ताकि जो कपास किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं, उन्हें पंजीयन के बाद समर्थन मूल्य पर कपास बेचने का एक मौका मिल सके। अभी वर्तमान में बाजार में कपास के भाव 7 हजार से 7500 रु तक है। सीसीआई में कपास बेचने पर किसानों को अधिक लाभ होगा।

जबकि पांडुना तहसील के ग्राम रायबासा के युवा प्रगतिशील कृषक श्री रोशन पांसे का कहना था कि इस साल कपास की फसल लगाई, लेकिन बाजार में कपास के दाम नहीं मिले। पांडुना की जिनिंग में सीसीआई द्वारा अब खरीदी बंद कर दी है। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सीसीआई में अपना कपास बेचने करीब 50 किमी दूर सौंसर जाना पड़ रहा है। यह प्रशासन की नाकामी है। अभी 20 क्विंटल कपास का भाड़ा 5 हजार लग रहा है। मजदूरी अलग। यह

किसानों को हुआ नुकसान

अतिरिक्त खर्च किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जबकि पहले पांडुना में ही 9 प्रतिशत कमी वाला कपास करीब 8 हजार के भाव में कपास बेचा था। अभी अच्छी क्वालिटी का 18 क्विंटल कपास बेचना बाकी है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की जो समितियां बनी हैं, वे विदेशों का कपास भारत में आयात कर रही हैं। इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। बाजार में कोई भी व्यापारी, जिनिंग या दलाल 7 हजार रु क्विंटल से ज्यादा भाव में कपास नहीं खरीद रहा है। अमेरिका से डील हुई उससे बाजार प्रभावित हुआ है।

दूसरी तरफ मंडलेश्वर प्रतिनिधि श्री दिलीप दसौंधी को कपास उत्पादक खरगोन जिले के किसानों ने बताया कि कई किसान अपना कपास सीसीआई को पहले ही बेच चुके हैं। अमलाथा के श्री दिग्विजय सोलंकी ने कहा कि इस बार सीसीआई ने 8-12 प्रतिशत नमी वाला कपास निर्धारित मापदंड से खरीदा। 120 क्विंटल कपास सीसीआई को बेचा। इसी तरह ग्राम समराज के किसान श्री अर्जुन पटेल ने 30 क्विंटल, ग्राम सिराली के श्री आशीष मालवीया ने 102 क्विंटल कपास सीसीआई भीकनगांव में तथा ग्राम बेड़िया के किसान श्री घनश्याम मुकाती ने 46 क्विंटल कपास दो चरणों में सीसीआई के बड़वाह और करही केंद्र पर बेचा। खरगोन जिले के अधिकांश किसानों ने सीसीआई को अपना कपास बेचकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लिया। ऐसे किसान बाजार में कपास के दामों में होने वाले उतार-चढ़ाव से अप्रभावित रहे।

बैठक में नई योजनाओं, किसानों के साथ मजबूत संबंध बनाने और आगामी सीजन के बेहतर परिणामों पर विस्तार से चर्चा हुई। टीम ने अनुभव साझा किए और भविष्य की चुनौतियों को अवसर में बदलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सर्वश्री नीलेश पाटीदार कम्पनी के महेंद्र पटेल, बालकृष्ण पाटीदार, दीपक पाटीदार, कैलाश पाटीदार, अनिल पाटीदार, प्रवीण चौधरी, विकास नाहर सहित बेरछा, चौसला कुल्मी, रुलकी, बर्डियासोन, बापचा, खोरिया नायता, तिलावद गोविंद सेटखेड़ी सहित लगभग 300 किसान शामिल हुए।

पटवारी एगो एजेन्सी

:: वितरक ::

- ◆ कलश सीड्स लि. ◆ बायोस्टेट इंडिया लि. ◆ बॉय कॉप साइंस ◆ धानुका एग्रीटेक लि.
- ◆ एफ.एम.सी. इंडिया प्रा.लि. ◆ धरडा केमिकल्स लि. ◆ अतुल एग्रीटेक लि.
- ◆ रामा फॉस्फेट्स लि. ◆ जी.एन.एफ.सी. ◆ इंसेक्टीसाइड्स इंडिया लि. ◆ बीएसएएफ
- ◆ ड्यूपॉन्ट इंडिया लि. ◆ क्रिस्टल क्रॉप साइंस ◆ डाउग्लो साइंसेस ◆ एग्री सर्व इंडिया
- ◆ मंशा इंडिया लि. ◆ स्वाल कार्पोरेशन लि. ◆ मेघमनी ऑर्गेनिक्स ◆ अदामा इंडिया लि.

17, विशाल टॉवर, इंदिरा काम्प्लेक्स, नवलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 2403694, 2400412, मो. : 9425077083

कैरा टेक्नोप्लास्ट प्रा.लि.,
खरगोन

आपकी समृद्धि
हमारी प्राथमिकता

हमारे यहां पर ड्रिप में फ्लैट और राउण्ड एचडीपीई व सिंक्रलर पाईप, एचडीपीई क्वाइल, लपेटा पाईप एवं रेन पाईप वर्जिन एवं उच्च क्वालिटी में बनाये जाते हैं। सम्पर्क - निरंजन नगर, कसरावद रोड, खरगोन,
मो. : 7880017028, 7880017021

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी

ISO 9001 : 2015 सर्टिफाईड

किसान हाईटेक ग्रीनहाउस नर्सरी

द्वारा पपीता, मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज, करेला, पलांगोभी, फूलगोभी आदि सब्जियों के पौधे टैबल स्टैण्ड के ऊपर रखकर तैयार किए जाते हैं।
सम्पर्क : 9407361901, 9407361902, 9407361903
सहयोगी प्रतिष्ठान : बागवानी बाजार नर्सरी जहां पर फलदार, सजावटी व फारेस्टी पौधों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। सम्पर्क : मो. : 9407853117, 9407853118, 9407853119, नर्सरी स्थल - ग्राम-सिराली, तह. - बड़वाह 451115, जिला-खरगोन (म.प्र.)

TerraGlobe Farmers Producer
Company Limited NIMADFRESH

यूरोप में मिर्च निर्यात
(एक्सपोर्ट) करने वाला
मध्यप्रदेश का पहला किसान
उत्पादक संगठन बना 'टेराग्लोब'
अब उसी की तर्ज पर नाबार्ड से
गठित FPO निमाडफ्रेश FPO रसायन
मुक्त मसाले का बना मैन्युफैक्चर
ODOP - मिर्च-खरगोन

निमाडफ्रेश
FPO (JV)
हरिओम भुरे
8964087240

टेराग्लोब
FPO
बालकृष्ण पाटीदार
9575524408

मध्यभारत की सबसे बड़ी नर्सरी

तिरुपति ग्रीन हाउस नर्सरी

देश का सबसे बड़ा पौधे भंडार औषधीय, फलदार, सजावटी फूलों के पौधे, इनडोर, टिशूकल्चर, क्रीपर, बोन्साई, सक्युलेन्स, केक्टस, हैंगिंग प्लांट, वर्टीकल प्लांट, लकी बैंबू रेंज, फॉरेस्ट्री प्लांट एवं सब्जियों के पौधों की विस्तृत श्रृंखला में
: आपका स्वागत है :
सिराली (बड़वाह) मध्यप्रदेश
www.tirupatinurserary.com
email : tirupatinurserary@gmail.com
मो. : 9479457720/99/63/
86/96/16/17/13/31/51

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- दैवट, ट्राली, शेर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि
 - बीज
 - औषधीय फसल
- विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक
- अधिकतम 25 शब्द
 - अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्पले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण जीएसटी 5% अतिरिक्त साइज : फिक्स साइज- 8 x 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्राएं, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत

की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.

62 62 166 222

www.krishakjagat.org @krishakjagatindia
@krishakjagat @krishak_jagat

असंतुलित उर्वरक नीति से देश की मिट्टी संकट में

एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने सुधार हेतु प्रधानमंत्री को दिए सुझाव

नई दिल्ली (कृषक जगत)। देश के लगभग 14 करोड़ किसान परिवारों और कृषि क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 'एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन' ने केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी नीति (NBS) में आमूलचूल बदलाव का प्रस्ताव भेजा है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनमोहन कलंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वर्तमान उर्वरक नीति में यूरिया और NPK की कीमतों के बीच बढ़ते फासले को कम करना अनिवार्य है।

मुख्य चिंता: यूरिया का अत्यधिक उपयोग और मिट्टी की खराबी - श्री कलंत्री ने बताया कि वर्तमान में यूरिया (रु. 266/45kg) और NPK (रु. 2100/50kg) की कीमतों में भारी अंतर है। इसके कारण किसान विवश होकर केवल सस्ते यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से, अत्यधिक नाइट्रोजन के कारण मिट्टी की अम्लीयता (Acidity) बढ़ रही है, जिससे मिट्टी सख्त हो रही है और उसकी पानी सोखने की क्षमता घट रही है। यह आने वाले समय में देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

एसोसिएशन के प्रमुख सुझाव: सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड): सामान्य यूरिया की जगह सल्फर कोटेड यूरिया को रु. 500 प्रति 40 किग्रा की दर पर प्रोत्साहित किया जाए। यह 'स्लो रिलीज' खाद है जो मिट्टी की खराबी में 30 प्रतिशत तक कमी लाती है।

चरणबद्ध उत्पादन: अगले 5 वर्षों में सामान्य यूरिया का उत्पादन हर साल 20 प्रतिशत घटाया जाए और उसकी जगह नया उन्नत यूरिया लाया जाए।

सब्सिडी का पुनर्वितरण: यूरिया पर बचने वाली अतिरिक्त सब्सिडी का उपयोग NPK और DAP की कीमतों को कम (रु. 1350 - रु. 1500) करने के लिए किया जाए, ताकि किसान संतुलित पोषण (Balanced Nutrition) अपना सकें।

MRP का निर्धारण: कंपनियों द्वारा अलग-अलग MRP रखने से किसान भ्रमित हैं। सरकार को हर ग्रेड की MRP पुनः फिक्स करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री के विजन का समर्थन: श्री कलंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पिछले 10 वर्षों में MSP खरीद पर खर्च किए गए रु. 19.60 लाख करोड़ और 'किसान सम्मान निधि' के तहत रु. 3.70 लाख करोड़ के सीधे लाभ की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का 'यूरिया का उपयोग कम करने' का सपना तभी साकार होगा, जब अन्य उर्वरकों (NPK/MOP) की कीमतें किसानों की पहुंच में होंगी। एसोसिएशन ने मांग की है कि MOP (पोटाश) की कीमतों को भी नियंत्रित किया जाए ताकि गन्ना और अन्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित न हो। इस विषय पर विस्तृत चर्चा हेतु एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री और रसायन मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से मिलने का समय मांगा है।



एसएमएल के श्री शाह एमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित

मुंबई (कृषक जगत)। एसएमएल लि. (पूर्व में सल्फर मिल्स लि.) के प्रबंध निदेशक श्री बिमल शाह को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर में प्रतिष्ठित 'एमडी ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गत दिनों मुंबई में प्रदान किया गया, जिसमें दूरदर्शी नेतृत्व, व्यावसायिक उत्कृष्टता और संगठनात्मक विकास और उद्योग उन्नति में प्रभावशाली योगदान को मान्यता दी गई। यह प्रतिष्ठित सम्मान श्री शाह की रणनीतिक दूरदर्शिता, नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रमाण है। यह व्यक्तिगत उपलब्धि के अलावा एसएमएल समूह की सामूहिक शक्ति, मूल्यों और प्रगति को भी प्रदर्शित करती है।

बीएसएफ : नई डिस्पर्सन लाइन से स्थानीय



उत्पादन को मिलेगी मजबूती

मुंबई (कृषक जगत)। बीएसएफ अपने मंगलौर संयंत्र में एक नई उत्पादन लाइन जोड़कर अपने डिस्पर्सन उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रहा है। यह विस्तार भारत की दीर्घकालिक वृद्धि में बीएसएफ के विश्वास और वास्तु पेंट, निर्माण रसायन और कागज अनुप्रयोगों में ग्राहकों को सहयोग देने की उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उच्च प्रदर्शन वाले डिस्पर्सन की मांग में लगातार हो रहे बदलावों के बीच, यह जुड़ाव भारत और व्यापक क्षेत्र में ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप विश्वसनीय स्थानीय आपूर्ति और उन्नत समाधान प्रदान करने की बीएसएफ की क्षमता को मजबूत करेगा।

बीएसएफ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रसार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एंड्रियास फेचटेनकोएटर ने कहा 'हमारे मंगलौर साइट के विस्तार से बीएसएफ के एशिया प्रशांत विनिर्माण नेटवर्क में तालमेल मजबूत होगा, विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होगी और हम भारत और इस क्षेत्र में अपने ग्राहकों को नवीन, लागत-प्रतिस्पर्धी फैलाव समाधान प्रदान करने में सक्षम होंगे।'

अपनी मजबूत एक्रिलिक वैल्यू चेन और व्यापक डिस्पर्सन पोर्टफोलियो का लाभ उठाते हुए, बीएसएफ स्थानीय स्तर पर प्रीमियम और प्रदर्शन-बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों में अपनी नेतृत्व स्थिति को और मजबूत कर रहा है।

बीएसएफ के दक्षिण एशिया स्थित डिस्पर्सन व्यवसाय निदेशक श्री मिलिंद जोशी ने कहा 'नई लाइन को उन्नत डिस्पर्सन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो लक्षित प्रदर्शन और स्थिरता लाभ प्रदान करते हैं, 'Acronal® और Basonal® तकनीकें पेंट, निर्माण और कागज के अनुप्रयोगों में कम VOC वाले, टिकाऊ फॉर्मूलेशन को सक्षम बनाती हैं, जो विश्वसनीय स्थानीय उत्पादन द्वारा समर्थित हैं।'



यूपीएल का बड़ा फैसला

किसानों को मिलेगा एकीकृत और मजबूत फसल सुरक्षा मंच

मुंबई (कृषक जगत)। वैश्विक कृषि-इनपुट कंपनी प्रा.लि. ने अपने समूह पुनर्गठन की घोषणा की है, जिसके तहत भारत और अंतरराष्ट्रीय फसल सुरक्षा व्यवसाय को एक नई सूचीबद्ध कंपनी में समेकित किया जाएगा। इस कदम के साथ कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सूचीबद्ध शुद्ध-फसल सुरक्षा प्लेटफॉर्म के रूप में उभरेगी। यह फैसला किसानों, डीलरों और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे अनुसंधान, उत्पादन और बाजार आपूर्ति में बेहतर तालमेल की संभावना बनेगी।

क्या होगा बदलाव?

पुनर्गठन योजना के तहत UPL अपनी सहायक कंपनियों के साथ तीन चरणों में संरचनात्मक बदलाव करेगी- UPL SAS का PL में विलय।

भारत के फसल सुरक्षा कारोबार को अलग कर नई कंपनी PL Global में स्थानांतरित करना। अंतरराष्ट्रीय फसल सुरक्षा इकाई PL Crop Protection Holdings Limited UPL Corp का UPL Global में विलय।

योजना पूरी होने के बाद दो सूचीबद्ध कंपनियां

होंगी-UPL-विविधकृत कृषि और स्पेशियलिटी केमिकल्स मंच और PL Global - समर्पित फसल सुरक्षा मंच।

किसानों के लिए क्या मायने?

मजबूत शोध, नए उत्पाद, बेहतर आपूर्ति: भारत और वैश्विक कारोबार के एकीकरण से उन्नत अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास को गति मिलेगी। इससे कीटनाशक, फफूंदनाशी और खरपतवारनाशी उत्पादों में नवाचार बढ़ेगा। एकीकृत संरचना से उत्पादन और वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है, जिससे किसानों को समय पर उत्पाद उपलब्धता मिल सकेगी।

कब तक पूरी होगी प्रक्रिया?

कंपनी के अनुसार यह प्रक्रिया अगले 12-15 महीनों में पूरी होने की संभावना है। इसके लिए सेबी, रिजर्व बैंक, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सहित अन्य नियामकीय संस्थाओं की मंजूरी आवश्यक होगी। PL का यह पुनर्गठन कदम भारतीय कृषि बाजार में फसल सुरक्षा क्षेत्र को और अधिक संगठित, प्रतिस्पर्धी और नवाचार-उन्मुख बना सकता है।

स्वराज ट्रेक्टर्स गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित

मोहाली (कृषक जगत)। महिंद्रा समूह का हिस्सा, स्वराज ट्रेक्टर्स को ग्रामीण समुदायों को मजबूत करने और भारत के गांवों में समावेशी विकास को सक्षम बनाने के प्रति अपनी निरंतर

पंजाब और हरियाणा के 30 से अधिक गांवों में मापने योग्य सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया है।

प्रमुख पहलों में 15 से अधिक ग्राम तालाबों



प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार स्वराज की प्रमुख एकीकृत ग्राम विकास पहल के लिए दिया गया है।

यह एक समग्र, समुदाय-आधारित कार्यक्रम है, जिसे सतत ग्रामीण परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विस्तृत ग्राम-स्तरीय आकलन और स्थानीय हितधारकों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव पर आधारित यह पहल विकास प्राथमिकताओं को ग्रामीण परिवारों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है। एक एकीकृत और सहभागी मॉडल के माध्यम से, यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाता है, जल सुरक्षा में सुधार करता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है और कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से आय सृजन को सक्षम बनाता है। क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देने से महिलाओं, युवाओं और किसानों को अपने समुदायों में विकास का नेतृत्व करने की क्षमता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। पिछले तीन वर्षों में, इस पहल ने स्थानीय संस्थानों को मजबूत करके, सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर और सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करके

का जीर्णोद्धार और सरकारी स्कूलों में 23 छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है, जो जल संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली में सहायक हैं। इस कार्यक्रम ने आवश्यकता-आधारित अवसर-सहायता और लक्षित शैक्षिक हस्तक्षेपों के माध्यम से 30 से अधिक सरकारी स्कूलों में 5,000 से अधिक छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार किया है।

इस सम्मान के अवसर पर बोलते हुए, एम एंड एम लि. के स्वराज डिवीजन के सीईओ, श्री गगनजोत सिंह ने कहा- 'स्वराज में हम उन समुदायों की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। ग्रुप महिंद्रा के सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर, हम ग्रामीण परिवारों के साथ मिलकर समावेशी, टिकाऊ और समुदाय-आधारित अवसर सृजित करने का काम करते हैं। यह सम्मान हमारे इस विश्वास को पुष्ट करता है कि सशक्त समुदाय ही स्थायी ग्रामीण परिवर्तन की नींव हैं।' गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स संगठनात्मक प्रथाओं और प्रभाव में उत्कृष्टता के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मानों में से एक है, और स्वराज का चयन एक कठोर बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद हुआ।



• डॉ. सुरेश मोटवानी, मो. : 9425010530
Email: drsmotwani@gmail.com

कृषि और खाद्य - यह आजीविका और राष्ट्रीय सुरक्षा है, व्यापार या PR नहीं

सुरक्षा के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाए

रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अनाज और तेल बीज बाजार को और अस्थिर कर दिया। दोनों देश विश्व गेहूँ, मक्का और कुछ तेल बीज के महत्वपूर्ण निर्यातक हैं; संघर्ष के कारण आपूर्ति में भारी गिरावट और कीमतों में उछाल देखा गया। कई देशों ने अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाए, यह बताता है कि संकट के समय राज्य अपना हित पहले देखते हैं। ऐसे समय में जिन देशों की घरेलू आपूर्ति कमजोर हो, वे वैश्विक बाजार के झटकों का शिकार बनती हैं। WTO के आँकड़े भी बताते हैं कि युद्ध और महामारी के बाद कई देशों ने खाद्य, फीड और उर्वरक पर निर्यात प्रतिबंध लगाए रखें, मध्य-2023 तक दर्जनों उपाय प्रभावी रहे। यह तथ्य साबित करता है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के बावजूद जब देश अपने नागरिकों की सुरक्षा का सवाल उठता है तो वे बाजार-नियमों से आगे जाकर अपने घरेलू हितों की रक्षा करते हैं। ऐसे परिदृश्य में आत्मनिर्भर घरेलू व्यवस्था की अहमियत और भी बढ़ जाती है।

अनाज उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा

भारत की परिस्थिति भी जटिल है- उत्पादन बढ़ रहा है कुल अनाज उत्पादन हाल के सालों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा है पर आयात-निर्भरताएँ अलग प्रकार की जोखिमें खड़ी करती हैं। खासकर खाद्य तेल में आयात हमारी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं; वर्षों में इसका आयात बिल कई अरब डॉलर तक पहुँचा है। यह दर्शाता है कि हम कुछ प्रमुख

नीति-स्तर पर कुछ विशिष्ट, तात्कालिक सिफारिशें जिनका तत्काल पालन किया जाना चाहिए

- राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा विन्यास को राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे में औपचारिक रूप से शामिल करें।
- रक्षा, ऊर्जा और खाद्य को समान रणनीतिक प्राथमिकता दें।
- खाद्य-सुरक्षा के संकेतक नियमित सुरक्षा समीक्षा के हिस्से हों।
- किसानों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों से पहले FTA/बीटीए के कृषि प्रावधान सार्वजनिक व उपभोक्ता-अनुकूल हों।
- संवेदनशील सूची, अस्थायी संरक्षण उपाय और प्रतिस्पर्धी सब्सिडी अंतर के लिए समायोजित कट-अफ पिरियड हों (सरकारों को समझौते के टेक्स्ट को पारदर्शी रखना चाहिए)।
- निर्यात-प्रोत्साहन से पहले घरेलू पोषण और जल-आधारित मूल्यांकन अनिवार्य हो।
- किसी भी बड़े निर्यात अभियान से पहले water footprint, पोषण-विन्यास और घरेलू उपलब्धता के संकेतक पर निर्णायक आकलन होना चाहिए।
- स्थानीय खाद्य प्रणालियों में निवेश बढ़ाएँ।
- विकेन्द्रीकृत कोल्ड-चेन, स्थानीय प्रोसेसिंग, मंडी सुधार और एफपीओ को मजबूती दे इससे किसानों को मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी बढ़ेगी और आपूर्ति-लचीलापन बढ़ेगा।
- खाद्य तेल और दालों जैसी संवेदनशील वस्तुओं के लिए 'मिशन-मोड' फुडिंग और अनुसंधान ताकि

हम अक्सर कृषि-विकास की बहस में नंबर और निर्यात को प्राथमिकता दे देते हैं..कितने करोड़ डॉलर के निर्यात हुए, किस बाजार में पहुँच बना ली.. पर असली प्रश्न यह है- क्या हमारी नीति पहले हमारी जनता को सुरक्षित, पोषणीय और किफायती भोजन दे रही है, या विदेशों में छवि बनने के लिए हम अपनी थाली को जोखिम में डाल रहे हैं? कृषि भारत की 45-50% तक श्रम-शक्ति से जुड़ी है; छोटे और सीमांत किसान लगभग 86 प्रतिशत से अधिक हैं। जब किसान और ग्रामीण आजीविका ही असुरक्षित हों, तो दुनिया में शीर्ष स्थान का ऐलान अर्थहीन प्रतीत होता है। घरेलू सुरक्षा को दरकिनार कर निर्यात-लक्ष्य बनाना दीर्घकालिक दृष्टि नहीं हो सकती। COVID-19 ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्लोबल सप्लाई-चेन कितनी नाजुक है। लॉकडाउन, श्रमिकों के आवागमन पर प्रतिबंध और बंदरगाहों की रुकावट ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को ठप कर दिया, जिसके चलते 2020-21 में खाद्य असुरक्षा तेजी से बढ़ने की चेतावनी दी गयी। वैश्विक रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि महामारी के कारण खाद्य असुरक्षा भयावह रूप से बढ़ सकती है और मामूली व्यवधान बड़े सामाजिक संकट में बदल सकते हैं। इस अनुभव से सीख यही निकली..जब वैश्विक प्रणाली पर भरोसा टूटे तो स्थानीय उत्पादन, भंडारण और वितरण ही लोगों की थाली बचाते हैं।

आवश्यकताओं में बाहरी निर्भरता पर बैठे हैं और यही निर्भरता हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता बढ़ाती है। स्थानीय खाद्य प्रणाली इस संदर्भ में सिर्फ 'असली विकल्प' नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। जब उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री स्थानीय-स्तर पर जुड़ा होता है तो- ताजगी और पोषण बढ़ता है; परिवहन और भंडारण में नुकसान कम होता है; किसानों के हाथ की कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था में लौटती है; जल और मिट्टी के संदर्भ में उपयुक्त फसल-तैयारी से संसाधन संरक्षण होता है; और सबसे बड़ी बात आपात स्थितियों में समुदाय स्वयं अपने भोजन की आपूर्ति कर सकता है।

किसानों, नागरिकों के लिए खतरे वास्तविक

शोध बताते हैं कि स्थानीय प्रणालियाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक संतुलित होती हैं और संकट-प्रतिरोधकता बढ़ाती हैं। यही कारण

आयात निर्भरता कम हो।

- बीज उन्नयन, क्रॉप-इंटेंसिफिकेशन जो जल-सुरक्षित हो, और वैल्यू-एडिशन टेक्नोलॉजीज पर फोकस।
- बाजार की केंद्रीकरण पर निगरानी और प्रतिस्पर्धा नीतियाँ कड़ी करें।
- बीज-और-एग्रीकेमिकल oligopoly का सोशल और रणनीतिक जोखिम आंका जाए और प्रतिस्पर्धी बाजार बनाए जाएँ।
- पीडीएस,मिड-डे मिल,आँगनवाड़ी आदि में स्थानीय खरीद को जरूरी मानक बनाएँ इससे स्थानीय उत्पादन और पोषण दोनों को बल मिलेगा।
- आकस्मिक निर्यात-प्रतिबंधों के लिए वैकल्पिक योजना और भंडार नीति स्पष्ट, पूर्वानुमेय नियम ताकि किसान और व्यापारी अचानक नीति-झटकों से न घबराएँ अंत में, मैं दो बातें बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। पहली, वैश्विक व्यापार से पूरी तरह दूरी बनाए रखना युक्तिसंगत नहीं; पर दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण, व्यापार तभी फायदेमंद है जब वह हमारी जनता की थाली और किसान की आजीविका को प्राथमिकता दे। नीति-निर्माता, शोध-संस्थाएँ और नागरिक समाज मिलकर यह तय करें कि कौन-सी फसल, किस पैमाने पर और किस मकसद से बाजार के लिये उपयुक्त है और क्या घरेलू सुरक्षा पहले पूरी हो। अगर हम इस क्रम को उलट देंगे, पहले बाजार, फिर मानव तो लघु-अवधि लाभ के पीछे हमारी दीर्घकालिक सुरक्षा हल हो सकती है।

है कि आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ 'स्वदेशी उत्पादन' नहीं, बल्कि 'स्थिर, पोषण-समृद्ध और संसाधन-संरक्षित' सिस्टम बनाना है। हाल के दिनों में भारत-अमेरिका तथा भारत-E जैसे व्यापक व्यापार ढाँचे पर बातचीत और समझौते चर्चा में हैं। सरकार इनके लाभ-हानि दोनों की बात करती है..पर किसानों और नागरिकों के लिए खतरे वास्तविक हैं। एक बड़े बाजार-समझौते

में किसान-सहायता और सब्सिडी असमानता (जैसे उच्च सब्सिडी देने वाले विदेशी कृषि-खेतों से सस्ते आयात) घरेलू उत्पादकों को दांव पर लगा सकती है। इसके साथ कुछ और बड़े जोखिम हैं जिन्हें नीति-निर्माता अनदेखा करते हैं- वैश्विक बीज-और-कीटनाशक उद्योग में असाधारण केंद्रीकरण (चार-पाँच बड़ी कंपनियों का वर्चस्व) है इससे बीज की कीमत, किस्मों की उपलब्धता और फार्म-इन्सपुट पर नियंत्रण केंद्रीकृत होता जा रहा है; आपात में यह नियंत्रण खाद्य संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है।

बीज पर देश की निर्भरता बढ़े

बड़ी कंपनियों का एकीकरण और ओलिगोपॉली जोखिम यह है कि कृषि-इन्पुट और बीज पर देश की निर्भरता बढ़े और लोकनीति पर प्रभाव गहरा हो। ग्लोबल शॉक (महामारी, युद्ध), निर्यात-प्रतिबंध, बाजार-केंद्रीकरण और बड़े FTA के अनियंत्रित प्रावधान.. ये सब मिलकर खाद्य-स्वतंत्रता और किसानों की आय के लिए गंभीर श्रेत हैं। यह नहीं कहा जा रहा कि व्यापार बुरा है; पर व्यापार तब ही सार्थक है जब वह घरेलू सुरक्षा और संसाधन-सुरक्षा के साथ सामंजस्य में हो। विदेशी समझौते तभी स्वीकार्य होने चाहिए जब वे कृषि-संवेदनशीलता, सब्सिडी-असमानता और खाद्य-प्रवाह की दीर्घकालिक स्थिरता को जोखिम में न डालें।

सर्वोत्तम गुणवत्तावाली जैन ड्रिप की विस्तृत उत्पादन श्रृंखला - सभी फसलों* के लिए हर किसान के बजट के अनुरूप विभिन्न प्रकार के ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के विकल्प स्टॉक में उपलब्ध हैं।

(# दलहन, धान, तिलहन, सब्जियाँ एवं फल बागानों आदि के लिए)

जैन टर्बो स्लिम - टीई व सुपर सेक्टर
5 से 20 मील (0.13 से 0.5 मिमी)
साईज - 12, 16, 20 मिमी




जैन टर्बो एक्सेल प्लस
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी



जैन टर्बो लाईन सुपर
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी साईज



जैन टर्बो लाईन - पीसी
क्लास 2
साईज - १६, २० मिमी



जैन टर्बो टॉप - एचडी पीसी
१३, १५ मील (०.३३, ०.३८ मिमी) - क्लास 1 व 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी



जैन पॉलीट्यूब एवं ड्रिपर्स
साईज - 12, 16, 20, 25, 32 मिमी



नोट : ड्रिपर्स व ड्रिपलाईन अलग-अलग प्रेशर रेटिंग में उपलब्ध

जैन ड्रिप
प्रति ड्रिप, फसल भरपूर!

जैन इरिगेशन सिस्टम्स लि.
छोटे छोटे क्वान, आसमान छूने का वना!

दूरभाष: 0257-2258011; 6600800
टोल फ्री : 1800 599 5000
ई-मेल: jisl@jains.com; वेबसाइट: www.jains.com



सावधान! नकल करके ड्रिप बनाने वाले एवं नकली ड्रिप कंपनियों और वितरकों से सतर्क रहें!